

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या- 212  
दिनांक 16 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा एफ जी डी की स्थापना

\*212 श्री संत बलबीर सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताप विद्युत संयंत्रों के संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु संयंत्रों में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली को स्थापित करना अनिवार्य है, यदि हां, तो कितने संयंत्रों ने एफ जी डी प्रणाली स्थापित की है और कितने संयंत्रों ने यह प्रणाली स्थापित नहीं की है;

(ख) क्या उन संयंत्रों के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है जिन्होंने अभी तक एफ जी डी प्रणाली को स्थापित नहीं किया है, यदि ऐसी कोई समय-सीमा है, इसका अनुपालन नहीं करने वाले संयंत्रों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा दंड लगाया गया है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान एफ जी डी प्रणाली वाले और इसके बगैर संचालित संयंत्रों के कार्य-निष्पादन के बारे में राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्री  
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

## विवरण

'ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा एफजीडी की संस्थापना' के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 16.12.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या-212 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई भी उत्पादन कंपनी इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन की स्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण कर सकती है, बशर्ते वह अधिनियम की धारा 73 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट ग्रिड कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती हो।

सभी ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंडसीसी) द्वारा अधिसूचित उत्सर्जन मानदंडों और समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक है। एमओईएफ एंडसीसी की दिनांक 07.12.2015, 31.03.2021 और 05.09.2022 की अधिसूचना में श्रेणी क, ख और ग में वर्गीकृत टीपीपी के संबंध में स्टैक उत्सर्जन मानदंड [सल्फर डाइ-ऑक्साइड (SO<sub>2</sub>) सहित], अनुपालन के लिए समयसीमा और पर्यावरण प्रतिकर (अनुपालन न होने की स्थिति में) निर्धारित किया गया है।

एमओईएफ एंडसीसी द्वारा टीपीपी से SO<sub>2</sub> उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन के लिए निर्धारित समय-सीमा निम्नानुसार दी गई है:

प्रवर्ग	अवस्थान/क्षेत्र	अनुपालन के लिए समय-सीमा (निवृत्त न होने वाली इकाईयां)	अनुपालन से छूट के लिए इकाईयां को निवृत्त करने की अंतिम तारीख
प्रवर्ग क	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की दस किलोमीटर की परिधि के भीतर	31 दिसंबर, 2024 तक	31 दिसंबर, 2027 तक
प्रवर्ग ख	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों की या गैर-प्राप्ति शहरों की दस किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर	31 दिसंबर, 2025 तक	
प्रवर्ग ग	प्रवर्ग क और ख में सम्मिलित से भिन्न	31 दिसंबर, 2026 तक	

निर्धारित समय-सीमा के बाद निर्दिष्ट मानदंडों का अनुपालन न करने की स्थिति में, निवृत्त न होने वाले टीपीपी पर निम्नानुसार पर्यावरण प्रतिकर लगाया जाएगा:

समय-सीमा से आगे अननुपालन प्रचालन	पर्यावरण प्रतिकर (प्रति इकाई जनित विद्युत)
0-180 दिन	0.20
181-365 दिन	0.30
366 दिन और उससे आगे	0.40

SO<sub>2</sub> उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए, टीपीपी में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली संस्थापित की जा रही है। टीपीपी में एफजीडी की संस्थापना के लिए कुल 537 इकाइयों (2,04,160 मेगावाट) की पहचान की गई है। इनमें से, 44 इकाइयों (22,590 मेगावाट) में एफजीडी की संस्थापना की गई है, 233 इकाइयों (1,02,040 मेगावाट) में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए/कार्यान्वयन के अधीन है, 138 इकाइयां (43,987 मेगावाट) निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं और 122 इकाइयां (35,543 मेगावाट) पूर्व-निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत है।

(ग) : एफजीडी प्रणाली के साथ और एफजीडी प्रणाली के बिना प्रचालित संयंत्रों के कार्य निष्पादन संबंधी राज्यवार आंकड़े क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II पर हैं।

## वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एफजीडी प्रणाली के साथ प्रचालित संयंत्रों के कार्य निष्पादन संबंधी आंकड़े

क्रम सं.	राज्य	टीपीपी का नाम	इकाई सं.	श्रेणी	शुरू होने की तिथि	क्षमता (मेगावाट)	एफजीडी प्रणाली की संस्थापना की तिथि	SO <sub>2</sub> मानदंड (मिलीग्राम/एनएम3)	औसत SO <sub>2</sub> (मिलीग्राम/एनएम3)
1	छत्तीसगढ़	लारा टीपीपी	1	ग	23-मार्च-18	800	जनवरी-2024	100	#
2	गुजरात	मुंद्रा टीपीपी	7	ग	07-नवंबर-11	660	नवंबर-2011	200	171
3		मुंद्रा टीपीपी	8	ग	03-मार्च-12	660	मार्च-2012	200	160
4		मुंद्रा टीपीपी	9	ग	09-मार्च-12	660	मार्च-2012	200	147
5		हरियाणा	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	1	क	31-अक्टूबर-10	500	नवंबर-2023	200
6		इंदिरा गांधी एसटीपीपी	2	क	05-नवंबर-11	500	जुलाई-2024	200	#
7		महात्मा गांधी टीपीपी	1	क	12-जनवरी-12	660	फरवरी-2019	200	161
8		महात्मा गांधी टीपीपी	2	क	11-अप्रैल-12	660	फरवरी-2019	200	151
9	झारखंड	बोकारो ए टीपीएस	1	ग	31-मार्च-93	500	जून-2024	200	#
10		कोडरमा टीपीएस	1	ग	20-जुलाई-11	500	मार्च-2024	200	#
11	कर्नाटक	कुडगी टीपीपी	2	ग	23-मार्च-17	800	मई-2024	100	#
12	मध्य प्रदेश	अनुपपुर टीपीपी	1	ग	20-अप्रैल-15	625	मार्च-2024	200	#
13		अनुपपुर टीपीपी	2	ग	30-मार्च-16	625	मई-2024	200	#
14		खरगोन एसटीपीपी चरण-I	1	ग	29-सितंबर-19	660	फरवरी-2023	100	1068
15		खरगोन एसटीपीपी चरण-I	2	ग	24-मार्च-20	660	सितंबर-2023	100	1290
16		विंध्याचल एसटीपीएस	12	ग	22-मार्च-13	500	अप्रैल-2024	200	#
17		विंध्याचल एसटीपीएस	13	ग	06-अगस्त-15	500	मार्च-2018	200	153
18		महाराष्ट्र	दहानू टीपीएस (एनएमपीएल)	1	ग	06-जनवरी-95	250	अक्टूबर-2007	600
19	दहानू टीपीएस (एनएमपीएल)		2	ग	29-मार्च-95	250	अक्टूबर-2007	600	338
20	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी		1	ग	24-अगस्त-10	300	अक्टूबर-2012	600	524
21	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी (कैप्टिव)		2	ग	09-दिसंबर-10	300	दिसंबर-2012	600	520
22	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी (कैप्टिव)		3	ग	06-मई-11	300	जनवरी-2013	600	523
23	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी (कैप्टिव)		4	ग	08-अक्टूबर-11	300	फरवरी-2013	600	522
24	सोलापुर एसटीपीपी		1	ख	07-अप्रैल-17	660	जुलाई-2024	100	#
25	सोलापुर एसटीपीपी		2	ख	30-मार्च-19	660	दिसंबर-2023	100	#
26	ट्रॉम्बे टीपीपी		1	क	25-जनवरी-84	500	मार्च-1990	200	90
27	ट्रॉम्बे टीपीपी		2	क	30-सितंबर-09	250	अक्टूबर-2008	600	227
28	तमिलनाडु	दर्लिनपल्ली एसटीपीपी चरण-I	2	ग	21-जुलाई-21	800	जनवरी-2024	100	#

क्रम सं.	राज्य	टीपीपी का नाम	इकाई सं.	श्रेणी	शुरू होने की तिथि	क्षमता (मेगावाट)	एफजीडी प्रणाली की संस्थापना की तिथि	SO <sub>2</sub> मानदंड (मिलीग्राम/एनएम3)	औसत SO <sub>2</sub> (मिलीग्राम/एनएम3)
29	तमिलनाडु	आईटीपीसीएल टीपीपी	1	ग	19-सितंबर-15	600	जून-2016	200	128
30		आईटीपीसीएल टीपीपी	2	ग	18-अप्रैल-16	600	अप्रैल-2017	200	87
31	उत्तर प्रदेश	दादरी (एनसीटीपीपी)	1	क	21-दिसंबर-91	210	दिसंबर-2019	600	665
32		दादरी (एनसीटीपीपी)	2	क	18-दिसंबर-92	210	दिसंबर-2019	600	558
33		दादरी (एनसीटीपीपी)	3	क	16-जून-92	210	जुलाई-2020	600	588
34		दादरी (एनसीटीपीपी)	4	क	24-मार्च-94	210	जुलाई-2020	600	686
35		दादरी (एनसीटीपीपी)	5	क	29-जनवरी-10	490	जून-2022	600	16
36		दादरी (एनसीटीपीपी)	6	क	30-जुलाई-10	490	नवंबर-2023	600	#
37		मेजा एसटीपीपी	1	ग	31-मार्च-18	660	फरवरी-2024	100	#
38		मेजा एसटीपीपी	2	ग	12-जनवरी-21	660	जनवरी-2024	100	#
39		टांडा टीपीपी	5	ग	28-सितंबर-19	660	दिसंबर-2023	100	#
40		ऊंचाहार टीपीपी	6	ग	31-मार्च-17	500	अगस्त-2022	100	59
41	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	1	ख	29-जुलाई-11	500	अप्रैल-2024	200	#
42		मेजिया टीपीएस	7	ग	30-सितंबर-10	500	जनवरी-2024	200	#
43		मेजिया टीपीएस	8	ग	26-मार्च-11	500	मार्च-2024	200	#
44		रघुनाथपुर टीपीपी	1	ग	24-अगस्त-14	600	अप्रैल-2024	200	#

#एफजीडी इकाईयां स्थिरीकरण की प्रक्रिया में हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एफजीडी प्रणाली के साथ प्रचालित संयंत्रों के कार्य निष्पादन संबंधी आंकड़े

क्रम सं.	राज्य	टीपीपी का नाम	इकाई सं.	श्रेणी	शुरू होने की तिथि	क्षमता (मेगावाट)	एफजीडी प्रणाली की संस्थापना की तिथि	SO <sub>2</sub> मानदंड (मिलीग्राम/एनएम3)	औसत SO <sub>2</sub> (मिलीग्राम/एनएम3)
1	छत्तीसगढ़	लारा टीपीपी	1	ग	23-मार्च-2018	800	जनवरी-2024	100	#
2	गुजरात	मुंद्रा टीपीपी	7	ग	07-नवंबर-2011	660	नवंबर-2011	200	158
3		मुंद्रा टीपीपी	8	ग	03-मार्च-2012	660	मार्च-2012	200	152
4		मुंद्रा टीपीपी	9	ग	09-मार्च-2012	660	मई-2012	200	143
5	हरियाणा	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	1	क	31-अक्तूबर-2010	500	नवंबर-2023	200	#
6		महात्मा गांधी टीपीपी	1	क	12-जनवरी-2012	660	फरवरी-2019	200	155
7		महात्मा गांधी टीपीपी	2	क	11-अप्रैल-2012	660	फरवरी-2019	200	178
8	मध्य प्रदेश	खरगोन एसटीपीपी चरण-I	1	ग	29-सितंबर-2019	660	फरवरी-2023	200	#
9		खरगोन एसटीपीपी चरण-I	2	ग	24-मार्च-2020	660	सितंबर-2023	200	#
10		विंध्याचल एसटीपीएस	13	ग	06-अगस्त-2015	500	मार्च-2018	100	160
11	महाराष्ट्र	दहानू टीपीएस	1	ग	06-जनवरी-1995	250	अक्तूबर-2007	600	321
12		दहानू टीपीएस	2	ग	29-मार्च-1995	250	अक्तूबर-2007	600	360
13		जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	1	ग	24-अगस्त-2010	300	अक्तूबर-2012	600	529
14		जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	2	ग	09-दिसंबर-2010	300	दिसंबर-2012	600	527
15		जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	3	ग	06-मई-2011	300	जनवरी-2013	600	534
16		जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	4	ग	08-अक्तूबर-2011	300	फरवरी-2013	600	536
17		सोलापुर एसटीपीपी	2	ख	30-मार्च-2019	660	दिसंबर-2023	100	#
18		ट्रॉम्बे टीपीपी	1	क	25-जनवरी-1984	500	मार्च-1990	200	132
19		ट्रॉम्बे टीपीपी	2	क	30-सितंबर-2009	250	अक्तूबर-2008	600	184
20		तमिलनाडु	दलिपल्ली एसटीपीपी	2	ग	21-जुलाई-2021	800	जनवरी-2024	100
21	आईटीपीसीएल टीपीपी		1	ग	19-सितंबर-2015	600	जून-2016	200	148
22	आईटीपीसीएल टीपीपी		2	ग	18-अप्रैल-2016	600	अप्रैल-2017	200	120
23	उत्तर प्रदेश	दादरी (एनसीटीपीपी)	1	क	21-दिसंबर-1991	210	दिसंबर-2019	600	602
24		दादरी (एनसीटीपीपी)	2	क	18-दिसंबर-1992	210	दिसंबर-2019	600	706
25		दादरी (एनसीटीपीपी)	3	क	16-जून-1992	210	जुलाई-2020	600	734
26		दादरी (एनसीटीपीपी)	4	क	24-मार्च-1994	210	जुलाई-2020	600	847
27		दादरी (एनसीटीपीपी)	5	क	29-जनवरी-2010	490	जून-2022	600	14
28		दादरी (एनसीटीपीपी)	6	क	30-जुलाई-2010	490	नवंबर-2023	600	#
29		मेजा एसटीपीपी	1	ग	31-मार्च-2018	660	फरवरी-2024	100	#
30		मेजा एसटीपीपी	2	ग	12-जनवरी-2021	660	जनवरी-2024	100	#
31		टांडा टीपीपी	5	ग	28-सितंबर-2019	660	दिसंबर-2023	100	#
32		ऊंचाहार टीपीपी	6	ग	31-मार्च-2017	500	अगस्त-2022	100	160
33	पश्चिम बंगाल	मेजिया टीपीएस	7	ग	30-सितंबर-2010	500	जनवरी-2024	200	#

#एफजीडी इकाईयां स्थिरीकरण की प्रक्रिया में हैं।

## एफजीडी प्रणाली के बिना प्रचलित संयंत्रों के कार्य निष्पादन संबंधी आंकड़े

क्रम सं.	राज्य	प्रोजेक्ट का नाम	इकाई संख्या	कुल क्षमता	शुरु करने की तिथि	श्रेणी	SO2 मानदंड (मिलीग्राम/एनएम3)	वित्त वर्ष 23-24 औसत SO2 (मिलीग्राम/एनएम3)	वित्त वर्ष 24-25 औसत SO2 (मिलीग्राम/एनएम3)
1	आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीवैया टीपीएस	1	800.00	28-08-14	ग	200	623	472
2		दामोदरम संजीवैया टीपीएस	2	800.00	17-03-15	ग	200	618	530
3		डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	1	210.00	01-11-79	क	600	1213	1227
4		डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	2	210.00	10-10-80	क	600	1184	1170
5		डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	3	210.00	05-10-89	क	600	1205	1219
6		डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	4	210.00	23-08-90	क	600	1221	1183
7		डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	5	210.00	31-03-94	क	600	1213	1147
8		डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	6	210.00	24-02-95	क	600	1219	1189
9		डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	7	500.00	08-10-09	क	200	808	864
10		पेनमपुरम टीपीपी	1	660.00	07-02-15	ग	200	*	1254
11		पेनमपुरम टीपीपी	2	660.00	03-09-15	ग	200	*	1328
12		रायलसीमा टीपीएस	1	210.00	31-03-94	ग	600	335	194
13		रायलसीमा टीपीएस	2	210.00	25-02-95	ग	600	339	161
14		रायलसीमा टीपीएस	3	210.00	25-01-07	ग	600	607	200
15		रायलसीमा टीपीएस	4	210.00	20-11-07	ग	600	459	170
16		रायलसीमा टीपीएस	5	210.00	31-12-10	ग	600	605	321
17		रायलसीमा टीपीएस	6	600.00	12-03-18	ग	100	*	*
18		एसजीपीएल टीपीपी	1	660.00	12-11-16	ग	200	1012	1152
19		एसजीपीएल टीपीपी	2	660.00	15-02-17	ग	100	1234	1160
20		सिम्हाद्री	1	500.00	22-02-02	क	200	1003	983
21		सिम्हाद्री	2	500.00	24-08-02	क	200	924	888
22		सिम्हाद्री	3	500.00	29-03-11	क	200	1072	923
23		सिम्हाद्री	4	500.00	30-03-12	क	200	851	677
24		विजाग टीपीपी	1	520.00	27-12-15	क	200	761	856
25		विजाग टीपीपी	2	520.00	30-03-16	क	200	732	784

26	असम	बोंगाईगांव टीपीपी	1	250.00	22-06-15	ग	600	879	1253
27		बोंगाईगांव टीपीपी	2	250.00	22-03-17	ग	100	862	1261
28		बोंगाईगांव टीपीपी	3	250.00	23-03-19	ग	100	938	1208
29	बिहार	बरौनी टीपीएस	6	105.00	01-05-83	ग	600	718	*
30		बरौनी टीपीएस	7	105.00	31-03-85	ग	600	892	*
31		बरौनी टीपीएस	8	250.00	11-01-18	ग	100	1397	1114
32		बरौनी टीपीएस	9	250.00	31-03-18	ग	100	1383	1092
33		बाढ़ I	1	660.00	30-10-21	ग	100	*	1324
34		बाढ़ II	4	660.00	20-11-13	ग	200	1199	1333
35		बाढ़ II	5	660.00	04-03-15	ग	200	1210	1278
36		कहलगांव टीपीएस	1	210.00	31-03-92	ग	600	787	797
37		कहलगांव टीपीएस	2	210.00	17-03-94	ग	600	803	808
38		कहलगांव टीपीएस	3	210.00	24-03-95	ग	600	805	804
39		कहलगांव टीपीएस	4	210.00	18-03-96	ग	600	793	828
40		कहलगांव टीपीएस	5	500.00	31-03-07	ग	200	800	801
41		कहलगांव टीपीएस	6	500.00	16-03-08	ग	200	784	810
42		कहलगांव टीपीएस	7	500.00	31-07-09	ग	200	771	778
43		मुजफ्फरपुर टीपीएस	3	195.00	31-03-15	ख	600	972	1043
44		मुजफ्फरपुर टीपीएस	4	195.00	24-03-16	ख	600	1114	1032
45		नबीनगर टीपीपी	1	250.00	20-03-16	ग	600	1282	1134
46		नबीनगर टीपीपी	2	250.00	03-04-17	ग	100	1360	1150
47		नबीनगर टीपीपी	3	250.00	26-02-19	ग	100	1433	1226
48		नबीनगर टीपीपी	4	250.00	10-11-21	ग	100	1333	1092
49		न्यू नबी नगर टीपीपी	1	660.00	12-07-19	ग	100	1484	1302
50		न्यू नबी नगर टीपीपी	2	660.00	31-03-21	ग	100	1510	1346
51		छत्तीसगढ़	अकलतरा टीपीएस	2	600.00	18-01-18	ग	100	764
52	अकलतरा टीपीएस		3	600.00	13-08-13	ग	200	794	878
53	अकलतरा टीपीएस		4	600.00	22-08-14	ग	200	804	672
54	अवंता भंडार		1	600.00	31-03-14	ग	200	956	690
55	बाल्को टीपीएस		1	300.00	04-06-15	ख	600	*	1283
56	बाल्को टीपीएस		2	300.00	24-03-16	ख	600	*	1385
57	बंदाखार टीपीपी		1	300.00	19-06-15	ग	600	396	343



58	छत्तीसगढ़	बारादरहा टीपीएस	1	600.00	23-02-14	ग	200	1040	1062
59		बारादरहा टीपीएस	2	600.00	24-03-15	ग	200	1273	1182
60		भिलाई टीपीएस	1	250.00	20-04-08	ख	600	613	1115
61		भिलाई टीपीएस	2	250.00	12-07-09	ख	600	698	1141
62		बिंजकोटे टीपीपी	1	300.00	28-03-18	ग	100	410	496
63		बिंजकोटे टीपीपी	2	300.00	25-04-17	ग	100	416	410
64		डीएसपीएम टीपीएस	1	250.00	30-03-07	ख	600	1064	1117
65		डीएसपीएम टीपीएस	2	250.00	11-12-07	ख	600	1045	1032
66		कोरबा एसटीपीएस	1	200.00	28-02-83	ख	600	1035	1031
67		कोरबा एसटीपीएस	2	200.00	31-10-83	ख	600	1030	1036
68		कोरबा एसटीपीएस	3	200.00	17-03-84	ख	600	1028	1009
69		कोरबा एसटीपीएस	4	500.00	31-05-87	ख	200	971	986
70		कोरबा एसटीपीएस	5	500.00	25-03-88	ख	200	999	1014
71		कोरबा एसटीपीएस	6	500.00	26-02-89	ख	200	996	1008
72		कोरबा एसटीपीएस	7	500.00	25-11-10	ख	200	915	871
73		कोरबा-पश्चिम टीपीएस	1	210.00	30-03-84	ख	600	581	832
74		कोरबा-पश्चिम टीपीएस	2	210.00	21-06-83	ख	600	587	826
75		कोरबा-पश्चिम टीपीएस	3	210.00	26-03-85	ख	600	548	737
76		कोरबा-पश्चिम टीपीएस	4	210.00	13-03-86	ख	600	576	698
77		कोरबा-पश्चिम टीपीएस	5	500.00	22-03-13	ख	200	588	882
78		लारा टीपीपी	2	800.00	12-07-20	ग	100	1125	1131
79		मारवा टीपीएस	1	500.00	30-03-14	ग	200	1145	1075
80		मारवा टीपीएस	2	500.00	15-07-16	ग	200	1150	1079
81		नवापारा टीपीपी	1	300.00	14-08-16	ग	600	464	462
82		नवापारा टीपीपी	2	300.00	18-04-17	ग	600	464	466
83		ओपी ज़िंदल टीपीएस	1	250.00	02-09-07	ग	600	*	*
84		ओपी ज़िंदल टीपीएस	2	250.00	10-02-08	ग	600	*	*
85		ओपी ज़िंदल टीपीएस	3	250.00	06-03-08	ग	600	*	*
86		ओपी ज़िंदल टीपीएस	4	250.00	17-06-08	ग	600	*	*
87	पथडी टीपीपी	1	300.00	04-06-09	ग	600	792	767	
88	पथडी टीपीपी	2	300.00	25-03-10	ग	600	732	763	
89	रायखेड़ा टीपीपी	1	685.00	24-02-15	ग	200	1112	1184	

90	छत्तीसगढ़	रायखेड़ा टीपीपी	2	685.00	28-03-16	ग	200	1148	1221
91		सलोरा टीपीपी	1	135.00	10-04-14	ग	600	*	*
92		सीपत एसटीपीएस	1	660.00	27-06-11	ग	200	900	996
93		सीपत एसटीपीएस	2	660.00	24-12-11	ग	200	787	1110
94		सीपत एसटीपीएस	3	660.00	02-06-12	ग	200	782	788
95		सीपत एसटीपीएस	4	500.00	27-05-07	ग	200	894	1031
96		सीपत एसटीपीएस	5	500.00	13-08-08	ग	200	800	1060
97		तमनार टीपीपी	1	600.00	07-01-15	ग	200	1283	1350
98		तमनार टीपीपी	2	600.00	10-03-14	ग	200	1287	1381
99		तमनार टीपीपी	3	600.00	30-03-14	ग	200	1213	1352
100		तमनार टीपीपी	4	600.00	28-03-15	ग	200	1433	1388
101		उचपिंडा टीपीपी	1	360.00	28-10-15	ग	600	1077	1118
102		उचपिंडा टीपीपी	2	360.00	28-01-16	ग	600	1070	1154
103		उचपिंडा टीपीपी	3	360.00	12-09-17	ग	100	987	985
104	उचपिंडा टीपीपी	4	360.00	20-03-19	ग	100	960	1164	
105	गुजरात	गांधी नगर टीपीएस	3	210.00	20-03-90	ग	600	1038	943
106		गांधी नगर टीपीएस	4	210.00	20-07-91	ग	600	951	990
107		गांधी नगर टीपीएस	5	210.00	17-03-98	ग	600	1084	1105
108		कच्छ लिग्नाइट टीपीएस	3	75.00	31-03-97	ग	600	3401	3153
109		मुंद्रा टीपीएस	1	330.00	04-08-09	ग	600	532	501
110		मुंद्रा टीपीएस	2	330.00	17-03-10	ग	600	514	510
111		मुंद्रा टीपीएस	3	330.00	02-08-10	ग	600	489	494
112		मुंद्रा टीपीएस	4	330.00	20-12-10	ग	600	497	498
113		मुंद्रा टीपीएस	5	660.00	26-12-10	ग	200	462	387
114		मुंद्रा टीपीएस	6	660.00	20-07-11	ग	200	393	358
115		मुंद्रा यूएमटीपीपी	1	800.00	25-02-12	ग	200	998	935
116		मुंद्रा यूएमटीपीपी	2	800.00	17-07-12	ग	200	1051	1217
117		मुंद्रा यूएमटीपीपी	3	800.00	16-10-12	ग	200	1052	1178
118		मुंद्रा यूएमटीपीपी	4	800.00	16-01-13	ग	200	*	1217
119		मुंद्रा यूएमटीपीपी	5	800.00	18-03-13	ग	200	1087	1203
120		साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	1	120.00	12-10-78	क	600	*	*
121		साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	2	121.00	31-12-84	क	600	*	*

122	गुजरात	साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	3	121.00	28-09-88	क	600	*	*
123		सलाया टीपीपी	1	600.00	22-02-12	ग	200	126	159
124		सलाया टीपीपी	2	600.00	13-06-12	ग	200	122	157
125		सिक्का आरईपी टीपीएस	3	250.00	29-03-15	ग	600	*	1126
126		सिक्का आरईपी टीपीएस	4	250.00	25-09-15	ग	600	*	1458
127		उकई टीपीएस	3	200.00	21-01-79	ग	600	1168	1076
128		उकई टीपीएस	4	200.00	28-03-79	ग	600	930	1111
129		उकई टीपीएस	5	210.00	30-01-85	ग	600	1135	942
130		उकई टीपीएस	6	500.00	05-03-13	ग	200	1021	929
131		वानाकबोरी टीपीएस	1	210.00	23-03-82	ग	600	755	819
132		वानाकबोरी टीपीएस	2	210.00	15-01-83	ग	600	829	826
133		वानाकबोरी टीपीएस	3	210.00	15-03-84	ग	600	848	826
134		वानाकबोरी टीपीएस	4	210.00	09-03-86	ग	600	905	809
135		वानाकबोरी टीपीएस	5	210.00	23-09-86	ग	600	863	878
136		वानाकबोरी टीपीएस	6	210.00	18-11-87	ग	600	938	832
137		वानाकबोरी टीपीएस	7	210.00	31-12-98	ग	600	902	891
138		वानाकबोरी टीपीएस	8	800.00	12-10-19	ग	100	1001	958
139		हरियाणा	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	3	500.00	07-11-12	क	200	1177
140	पानीपत टीपीएस		6	210.00	31-03-01	क	600	391	963
141	पानीपत टीपीएस		7	250.00	28-09-04	क	600	606	1001
142	पानीपत टीपीएस		8	250.00	28-01-05	क	600	654	943
143	राजीव गांधी टीपीएस		1	600.00	31-03-10	ग	200	955	1014
144	राजीव गांधी टीपीएस		2	600.00	01-10-10	ग	200	878	1135
145	यमुनानगर टीपीएस		1	300.00	01-11-07	ग	600	74	973
146	यमुनानगर टीपीएस		2	300.00	29-03-08	ग	600	337	971
147	झारखंड	चंद्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस	7	250.00	04-11-09	ग	600	569	669
148		चंद्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस	8	250.00	31-03-10	ग	600	604	648
149		जोजोबेरा टीपीएस	2	120.00	01-02-01	ग	600	559	648
150		जोजोबेरा टीपीएस	3	120.00	01-02-02	ग	600	531	628
151		कोडरमा टीपीपी	2	500.00	15-02-13	ग	200	733	925
152		महादेव प्रसाद एसटीपीपी	1	270.00	19-11-12	ग	600	1045	751

153	झारखंड	महादेव प्रसाद एसटीपीपी	2	270.00	29-03-13	ग	600	1133	606
154		मैथन आरबी टीपीपी	1	525.00	30-06-11	ग	200	*	751
155		मैथन आरबी टीपीपी	2	525.00	31-03-12	ग	200	*	606
156		तेनुघाट टीपीएस	1	210.00	14-04-94	ग	600	352	322
157		तेनुघाट टीपीएस	2	210.00	10-10-96	ग	600	370	342
158	कर्नाटक	बेल्गारी टीपीएस	1	500.00	03-12-07	ग	200	2294	2325
159		बेल्गारी टीपीएस	2	500.00	23-03-12	ग	200	2065	2133
160		बेल्गारी टीपीएस	3	700.00	01-03-16	ग	200	2025	2082
161		कुडगी एसटीपीपी	1	800.00	25-12-16	ग	200	1202	1378
162		कुडगी एसटीपीपी	3	800.00	12-03-18	ग	100	1208	1381
163		रायचूर टीपीएस	1	210.00	29-03-85	ग	600	*	*
164		रायचूर टीपीएस	2	210.00	02-03-86	ग	600	1770	1461
165		रायचूर टीपीएस	3	210.00	30-03-91	ग	600	*	*
166		रायचूर टीपीएस	4	210.00	29-09-94	ग	600	1801	1432
167		रायचूर टीपीएस	5	210.00	31-01-99	ग	600	2043	1694
168		रायचूर टीपीएस	6	210.00	22-07-99	ग	600	1973	1765
169		रायचूर टीपीएस	7	210.00	11-12-02	ग	600	2184	1690
170		रायचूर टीपीएस	8	250.00	26-06-10	ग	600	1828	1405
171		तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-I)	1	130.00	15-01-99	ग	600	412	459
172		तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-I)	2	130.00	16-05-99	ग	600	378	454
173		तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-II)	1	300.00	23-04-09	ग	600	351	362
174		तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-II)	2	300.00	24-08-09	ग	600	362	340
175		उडुपी टीपीपी	1	600.00	23-07-10	ग	200	505	537
176		उडुपी टीपीपी	2	600.00	16-04-11	ग	200	528	566
177		यरमरस टीपीपी	1	800.00	29-03-16	ग	200	1526	1476
178	यरमरस टीपीपी	2	800.00	29-03-17	ग	100	1370	1289	
179	मध्य प्रदेश	अमरकंटक एक्सटेंशन टीपीएस	3	210.00	15-06-08	ग	600	902	656
180		बीना टीपीएस	1	250.00	12-08-12	ग	600	864	996
181		बीना टीपीएस	2	250.00	31-03-13	ग	600	832	988
182		गाडरवारा टीपीपी	1	800.00	29-03-19	ग	100	1189	1272
183		गाडरवारा टीपीपी	2	800.00	16-02-21	ग	100	1213	1358
184		महान टीपीपी	1	600.00	24-02-13	ग	200	751	815

185	मध्य प्रदेश	महान टीपीपी	2	600.00	07-10-18	ग	100	759	875
186		निगरी टीपीपी	1	660.00	29-08-14	ग	200	1289	1191
187		निगरी टीपीपी	2	660.00	27-02-15	ग	200	1344	1177
188		संजय गांधी टीपीएस	1	210.00	26-03-93	ग	600	1275	1155
189		संजय गांधी टीपीएस	2	210.00	27-03-94	ग	600	1185	1637
190		संजय गांधी टीपीएस	3	210.00	28-02-99	ग	600	1013	895
191		संजय गांधी टीपीएस	4	210.00	23-11-99	ग	600	1062	1174
192		संजय गांधी टीपीएस	5	500.00	18-06-07	ग	200	1151	1224
193		सासन यूएमटीपीपी	1	660.00	30-05-13	ग	200	813	645
194		सासन यूएमटीपीपी	2	660.00	18-12-13	ग	200	589	694
195		सासन यूएमटीपीपी	3	660.00	21-05-14	ग	200	561	545
196		सासन यूएमटीपीपी	4	660.00	25-03-14	ग	200	723	710
197		सासन यूएमटीपीपी	5	660.00	24-08-14	ग	200	1105	1016
198		सासन यूएमटीपीपी	6	660.00	19-03-15	ग	200	858	673
199		सतपुड़ा टीपीएस	6	200.00	27-06-79	ग	600	*	*
200		सतपुड़ा टीपीएस	7	210.00	20-09-80	ग	600	*	*
201		सतपुड़ा टीपीएस	8	210.00	25-01-83	ग	600	*	*
202		सतपुड़ा टीपीएस	9	210.00	27-02-84	ग	600	*	*
203		सतपुड़ा टीपीएस	10	250.00	22-03-13	ग	600	*	*
204		सतपुड़ा टीपीएस	11	250.00	25-12-13	ग	600	*	*
205		सिवनी टीपीपी	1	600.00	22-03-16	ग	200	917	982
206		श्री सिंगाजी टीपीपी	1	600.00	18-11-13	ग	200	1026	1198
207		श्री सिंगाजी टीपीपी	2	600.00	15-10-14	ग	200	1152	988
208		श्री सिंगाजी टीपीपी	3	660.00	18-11-18	ग	100	1236	1164
209		श्री सिंगाजी टीपीपी	4	660.00	27-03-19	ग	100	1010	989
210		विंध्याचल एसटीपीएस	1	210.00	10-10-87	ग	600	1018	984
211	विंध्याचल एसटीपीएस	2	210.00	23-07-88	ग	600	1039	979	
212	विंध्याचल एसटीपीएस	3	210.00	03-02-89	ग	600	999	980	
213	विंध्याचल एसटीपीएस	4	210.00	26-12-89	ग	600	1029	953	
214	विंध्याचल एसटीपीएस	5	210.00	31-03-90	ग	600	1022	970	
215	विंध्याचल एसटीपीएस	6	210.00	01-02-91	ग	600	1039	967	
216	विंध्याचल एसटीपीएस	7	500.00	03-03-99	ग	200	1009	962	

217	मध्य प्रदेश	विंध्याचल एसटीपीएस	8	500.00	26-02-00	ग	200	1020	960
218		विंध्याचल एसटीपीएस	9	500.00	27-07-06	ग	200	1018	1031
219		विंध्याचल एसटीपीएस	10	500.00	08-03-07	ग	200	1044	987
220		विंध्याचल एसटीपीएस	11	500.00	14-06-12	ग	200	1015	987
221	महाराष्ट्र	अमरावती टीपीएस	1	270.00	25-03-13	ग	600	409	444
222		अमरावती टीपीएस	2	270.00	17-02-14	ग	600	398	400
223		अमरावती टीपीएस	3	270.00	29-01-15	ग	600	461	447
224		अमरावती टीपीएस	4	270.00	04-03-15	ग	600	384	399
225		अमरावती टीपीएस	5	270.00	12-03-15	ग	600	376	428
226		बेला टीपीएस	1	270.00	20-03-13	ग	600	513	569
227		भुसावल टीपीएस	3	210.00	18-09-82	ग	600	737	761
228		भुसावल टीपीएस	4	500.00	07-03-12	ग	200	1214	1229
229		भुसावल टीपीएस	5	500.00	30-03-12	ग	200	1235	1238
230		बुटीबोरी टीपीपी	1	300.00	31-03-14	ग	600	*	*
231		बुटीबोरी टीपीपी	2	300.00	17-08-12	ग	600	*	*
232		चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	3	210.00	03-05-85	ख	600	1154	1282
233		चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	4	210.00	08-03-86	ख	600	1181	1265
234		चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	5	500.00	22-03-91	ख	200	1229	1295
235		चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	6	500.00	11-03-92	ख	200	1235	1286
236		चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	7	500.00	01-10-97	ख	200	1240	1289
237		चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	8	500.00	29-03-15	ख	200	1224	1281
238		चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	9	500.00	21-03-16	ख	200	1233	1256
239		धारीवाल टीपीपी	1	300.00	03-11-13	ख	600	2084	2146
240		धारीवाल टीपीपी	2	300.00	28-05-14	ख	600	2055	1961
241		जीईपीएल टीपीपी फेज-I	1	60.00	28-04-12	ग	600	*	*
242		जीईपीएल टीपीपी फेज-I	2	60.00	08-09-12	ग	600	*	*
243		जीएमआर वरोरा टीपीएस	1	300.00	07-02-13	ग	600	*	*
244		जीएमआर वरोरा टीपीएस	2	300.00	27-08-13	ग	600	*	*
245		खापरखेड़ा टीपीएस	1	210.00	26-03-89	क	600	1238	1213
246		खापरखेड़ा टीपीएस	2	210.00	08-01-90	क	600	1230	1233
247		खापरखेड़ा टीपीएस	3	210.00	31-05-00	क	600	1210	1197
248		खापरखेड़ा टीपीएस	4	210.00	07-01-01	क	600	1206	1188

249	महाराष्ट्र	खापरखेड़ा टीपीएस	5	500.00	05-08-11	क	200	1348	1385
250		कोराडी टीपीएस	6	210.00	30-03-82	क	600	945	1199
251		कोराडी टीपीएस	8	660.00	30-03-15	क	200	1530	1482
252		कोराडी टीपीएस	9	660.00	15-03-16	क	200	1536	1476
253		कोराडी टीपीएस	10	660.00	28-12-16	क	200	1556	1487
254		मौदा टीपीएस	1	500.00	19-04-12	ग	200	1131	1149
255		मौदा टीपीएस	2	500.00	29-03-13	ग	200	1305	1313
256		मौदा टीपीएस	3	660.00	28-03-16	ग	200	1178	1341
257		मौदा टीपीएस	4	660.00	18-03-17	ग	100	839	1218
258		नासिक (पी) टीपीएस	1	270.00	25-02-14	ग	600	*	*
259		नासिक (पी) टीपीएस	2	270.00	15-02-17	ग	100	*	*
260		नासिक (पी) टीपीएस	3	270.00	14-04-17	ग	100	*	*
261		नासिक (पी) टीपीएस	4	270.00	19-05-17	ग	100	*	*
262		नासिक (पी) टीपीएस	5	270.00	30-05-17	ग	100	*	*
263		नासिक टीपीएस	3	210.00	26-04-79	क	600	1250	*
264		नासिक टीपीएस	4	210.00	10-07-80	क	600	1248	*
265		नासिक टीपीएस	5	210.00	30-01-81	क	600	1025	*
266		पारस टीपीएस	1	250.00	31-05-07	ग	600	1700	1086
267		पारस टीपीएस	2	250.00	27-03-10	ग	600	1717	1011
268		परली टीपीएस	6	250.00	16-02-07	ग	600	768	669
269		परली टीपीएस	7	250.00	10-02-10	ग	600	762	667
270		परली टीपीएस	8	250.00	30-03-16	ग	600	741	644
271		शिरपुर टीपीपी	1	150.00	28-09-17	ग	100	201	251
272		तिरोरा टीपीएस	1	660.00	11-09-12	ग	200	827	265
273		तिरोरा टीपीएस	2	660.00	25-03-13	ग	200	824	817
274		तिरोरा टीपीएस	3	660.00	10-06-13	ग	200	802	821
275		तिरोरा टीपीएस	4	660.00	23-03-14	ग	200	804	801
276		तिरोरा टीपीएस	5	660.00	25-09-14	ग	200	813	796
277	वर्धा वरोरा टीपीपी	1	135.00	05-06-10	ग	600	882	645	
278	वर्धा वरोरा टीपीपी	2	135.00	10-10-10	ग	600	890	692	
279	वर्धा वरोरा टीपीपी	3	135.00	21-01-11	ग	600	878	647	
280	वर्धा वरोरा टीपीपी	4	135.00	30-04-11	ग	600	874	646	

281	ओडिशा	दरलीपाली एसटीपीएस	1	800.00	30-12-19	ग	100	*	945	
282		दरंग टीपीपी	1	600.00	10-04-14	ग	200	*	*	
283		दरंग टीपीपी	2	600.00	24-01-15	ग	200	*	*	
284		आईबी वैली टीपीएस	1	210.00	02-06-94	ग	600	941	1153	
285		आईबी वैली टीपीएस	2	210.00	22-10-95	ग	600	987	1196	
286		आईबी वैली टीपीएस	3	660.00	02-07-19	ग	100	987	1354	
287		आईबी वैली टीपीएस	4	660.00	02-07-19	ग	100	992	1329	
288		कमलांगा टीपीएस	1	350.00	29-03-13	ग	600	1186	1247	
289		कमलांगा टीपीएस	2	350.00	28-09-13	ग	600	1210	1171	
290		कमलांगा टीपीएस	3	350.00	21-03-14	ग	600	1150	1117	
291		स्टरलाइट टीपीपी	1	600.00	14-10-10	ग	200	1380	1345	
292		स्टरलाइट टीपीपी	2	600.00	29-12-10	ग	200	1493	1303	
293		तालचेर एसटीपीएस	1	500.00	19-02-95	ग	200	1068	1269	
294		तालचेर एसटीपीएस	2	500.00	27-03-96	ग	200	1032	1134	
295		तालचेर एसटीपीएस	3	500.00	21-02-03	ग	200	941	919	
296		तालचेर एसटीपीएस	4	500.00	25-10-03	ग	200	1011	1150	
297		तालचेर एसटीपीएस	5	500.00	13-05-04	ग	200	959	970	
298		तालचेर एसटीपीएस	6	500.00	06-02-05	ग	200	853	915	
299		उत्कल टीपीपी (आईएनडी बाराथ)	1	350.00	25-02-16	ग	600	*	*	
300		पंजाब	जीएच टीपीएस (लेह.मोह.)	1	210.00	29-12-97	ग	600	1066	1247
301			जीएच टीपीएस (लेह.मोह.)	2	210.00	16-10-98	ग	600	*	*
302			जीएच टीपीएस (लेह.मोह.)	3	250.00	03-01-08	ग	600	1059	1118
303			जीएच टीपीएस (लेह.मोह.)	4	250.00	31-07-08	ग	600	1045	1055
304			गोइंदवाल साहिब	1	270.00	14-02-16	ग	600	426	487
305			गोइंदवाल साहिब	2	270.00	15-03-16	ग	600	899	1643
306			राजपुरा टीपीपी	1	700.00	24-01-14	ग	200	1238	957
307			राजपुरा टीपीपी	2	700.00	06-07-14	ग	200	*	1204
308			रोपड़ टीपीएस	3	210.00	31-03-88	ग	600	*	*
309			रोपड़ टीपीएस	4	210.00	29-01-89	ग	600	*	*
310	रोपड़ टीपीएस		5	210.00	29-03-92	ग	600	*	*	
311	रोपड़ टीपीएस		6	210.00	30-03-93	ग	600	817	*	
312	तलवंडी साबो टीपीपी		1	660.00	17-06-14	ग	200	698	979	



313	पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	2	660.00	25-10-15	ग	200	856	846	
314		तलवंडी साबो टीपीपी	3	660.00	29-03-16	ग	200	529	894	
315		छबड़ा टीपीपी	1	250.00	30-10-09	ग	600	759	723	
316	राजस्थान	छबड़ा टीपीपी	2	250.00	04-05-10	ग	600	741	594	
317		छबड़ा टीपीपी	3	250.00	14-09-13	ग	600	784	809	
318		छबड़ा टीपीपी	4	250.00	30-06-14	ग	600	693	755	
319		छबड़ा टीपीपी	5	660.00	04-04-17	ग	100	*	645	
320		छबड़ा टीपीपी	6	660.00	29-03-19	ग	100	*	545	
321		कालीसिंध टीपीएस	1	600.00	02-05-14	ग	200	1105	915	
322		कालीसिंध टीपीएस	2	600.00	06-06-15	ग	200	1105	964	
323		कवई टीपीएस	1	660.00	28-05-13	ग	200	900	922	
324		कवई टीपीएस	2	660.00	24-12-13	ग	200	800	1055	
325		कोटा टीपीएस	1	110.00	17-01-83	क	600	609	702	
326		कोटा टीपीएस	2	110.00	13-07-83	क	600	657	774	
327		कोटा टीपीएस	3	210.00	25-09-88	क	600	709	723	
328		कोटा टीपीएस	4	210.00	01-05-89	क	600	666	687	
329		कोटा टीपीएस	5	210.00	26-03-94	क	600	724	741	
330		कोटा टीपीएस	6	195.00	30-07-03	क	600	479	664	
331		कोटा टीपीएस	7	195.00	31-08-09	क	600	692	618	
332		सूरतगढ़ एससीटीपीपी	7	660.00	15-03-20	ग	100	*	924	
333		सूरतगढ़ एससीटीपीपी	8	660.00	06-10-21	ग	100	*	731	
334		सूरतगढ़ टीपीएस	1	250.00	10-05-98	ग	600	608	787	
335		सूरतगढ़ टीपीएस	2	250.00	28-03-00	ग	600	*	931	
336		सूरतगढ़ टीपीएस	3	250.00	29-10-01	ग	600	704	*	
337		सूरतगढ़ टीपीएस	4	250.00	25-03-02	ग	600	*	838	
338		सूरतगढ़ टीपीएस	5	250.00	30-06-03	ग	600	*	960	
339		सूरतगढ़ टीपीएस	6	250.00	29-08-09	ग	600	747	155	
340		तमिलनाडु	मेट्टूर टीपीएस	1	210.00	04-01-87	ख	600	432	460
341			मेट्टूर टीपीएस	2	210.00	01-12-87	ख	600	399	449
342			मेट्टूर टीपीएस	3	210.00	22-03-89	ख	600	430	438
343	मेट्टूर टीपीएस		4	210.00	27-03-90	ख	600	374	436	
344	मेट्टूर टीपीएस-II		1	600.00	11-10-12	ख	200	168	171	

345	तमिलनाडु	मुथियारा टीपीपी	1	600.00	02-12-14	ख	200	*	*	
346		मुथियारा टीपीपी	2	600.00	02-01-16	ख	200	*	*	
347		नेवेली (एक्टेशन) टीपीएस	1	210.00	21-10-02	ग	600	*	1257	
348		नेवेली (एक्टेशन) टीपीएस	2	210.00	22-07-03	ग	600	1476	1243	
349		नेवेली न्यू टीपीपी	1	500.00	20-12-19	ग	100	1795	1971	
350		नेवेली न्यू टीपीपी	2	500.00	03-02-21	ग	100	1930	1833	
351		नेवेली टीपीएस(जेड)	1	250.00	21-10-02	ग	600	*	*	
352		नेवेली टीपीएस-II	1	210.00	17-01-88	ग	600	905	1560	
353		नेवेली टीपीएस-II	2	210.00	06-02-87	ग	600	1369	1063	
354		नेवेली टीपीएस-II	3	210.00	29-03-87	ग	600	1172	705	
355		नेवेली टीपीएस-II	4	210.00	30-03-91	ग	600	1126	1036	
356		नेवेली टीपीएस-II	5	210.00	31-12-91	ग	600	1275	1362	
357		नेवेली टीपीएस-II	6	210.00	30-10-92	ग	600	1214	1352	
358		नेवेली टीपीएस-II	7	210.00	19-06-93	ग	600	1204	1419	
359		उत्तरी चेन्नई टीपीएस	1	210.00	25-10-94	क	600	574	435	
360		उत्तरी चेन्नई टीपीएस	2	210.00	27-03-95	क	600	664	646	
361		उत्तरी चेन्नई टीपीएस	3	210.00	24-02-96	क	600	594	523	
362		उत्तरी चेन्नई टीपीएस	4	600.00	13-09-13	क	200	835	771	
363		उत्तरी चेन्नई टीपीएस	5	600.00	09-03-13	क	200	*	*	
364		थूथुकुडी (जेवी) टीपीपी	1	500.00	10-03-15	ख	200	177	225	
365		थूथुकुडी (जेवी) टीपीपी	2	500.00	09-07-15	ख	200	175	206	
366		थूथुकुडी चरण-IV	1	525.00	30-11-21	ख	100	284	87	
367		थूथुकुडी टीपीएस	1	210.00	09-07-79	ख	600	*	470	
368		थूथुकुडी टीपीएस	2	210.00	17-12-80	ख	600	*	468	
369		थूथुकुडी टीपीएस	3	210.00	16-04-82	ख	600	*	352	
370		थूथुकुडी टीपीएस	4	210.00	11-02-92	ख	600	*	459	
371		थूथुकुडी टीपीएस	5	210.00	31-03-91	ख	600	*	487	
372		वल्लूर टीपीपी	1	500.00	28-03-12	क	200	1205	866	
373		वल्लूर टीपीपी	2	500.00	28-02-13	क	200	1188	876	
374		वल्लूर टीपीपी	3	500.00	28-02-14	क	200	1103	804	
375		तेलंगाना	भद्राद्री टीपीपी	1	270.00	05-06-20	ग	100	*	1461
376			भद्राद्री टीपीपी	2	270.00	07-12-20	ग	100	*	1268

377	तेलंगाना	भद्राद्री टीपीपी	3	270.00	26-03-21	ग	100	*	1070	
378		काकतीय टीपीएस	1	500.00	27-05-10	ग	200	612	495	
379		काकतीय टीपीएस	2	600.00	31-12-15	ग	200	839	726	
380		कोठागुडेम टीपीएस (न्यू)	9	250.00	27-03-97	ग	600	527	281	
381		कोठागुडेम टीपीएस (न्यू)	10	250.00	28-02-98	ग	600	512	219	
382		कोठागुडेम टीपीएस (न्यू)	11	500.00	26-06-11	ग	200	917	474	
383		कोठागुडेम टीपीएस (चरण-7)	12	800.00	26-12-18	ग	100	939	893	
384		रामागुडेम - बी टीपीएस	2	62.50	17-10-71	ग	600	*	133	
385		रामागुडेम एसटीपीएस	1	200.00	27-10-83	ग	600	1177	1301	
386		रामागुडेम एसटीपीएस	2	200.00	29-05-84	ग	600	1155	1225	
387		रामागुडेम एसटीपीएस	3	200.00	13-12-84	ग	600	1149	1218	
388		रामागुडेम एसटीपीएस	4	500.00	26-06-88	ग	200	1191	1268	
389		रामागुडेम एसटीपीएस	5	500.00	26-03-89	ग	200	1101	1258	
390		रामागुडेम एसटीपीएस	6	500.00	16-10-89	ग	200	1276	1233	
391		रामागुडेम एसटीपीएस	7	500.00	26-09-04	ग	200	1153	1229	
392		सिंगरेनी टीपीपी	1	600.00	13-03-16	ग	200	1395	1309	
393		सिंगरेनी टीपीपी	2	600.00	25-11-16	ग	200	1528	1607	
394		उत्तर प्रदेश	अनपरा सी टीपीएस	1	600.00	12-11-11	ख	200	722	839
395			अनपरा सी टीपीएस	2	600.00	15-11-11	ख	200	632	853
396			अनपरा टीपीएस	1	210.00	24-03-86	ख	600	785	806
397	अनपरा टीपीएस		2	210.00	28-02-87	ख	600	790	819	
398	अनपरा टीपीएस		3	210.00	12-03-88	ख	600	782	824	
399	अनपरा टीपीएस		4	500.00	19-07-93	ख	200	827	811	
400	अनपरा टीपीएस		5	500.00	04-07-94	ख	200	809	765	
401	अनपरा टीपीएस		6	500.00	08-06-15	ख	200	822	790	
402	अनपरा टीपीएस		7	500.00	06-03-16	ख	200	804	835	
403	हरदुआगंज टीपीएस		7	105.00	31-03-78	ग	600	379	418	
404	हरदुआगंज टीपीएस		8	250.00	27-09-11	ग	600	590	622	
405	हरदुआगंज टीपीएस		9	250.00	25-05-12	ग	600	584	684	
406	ललितपुर टीपीएस		1	660.00	26-03-16	ग	200	915	822	
407	ललितपुर टीपीएस		2	660.00	08-01-16	ग	200	773	817	
408	ललितपुर टीपीएस		3	660.00	01-04-16	ग	200	1055	1042	

409	उत्तर प्रदेश	ओबरा टीपीएस	9	200.00	26-01-80	ग	600	213	517
410		ओबरा टीपीएस	10	200.00	14-01-79	ग	600	527	564
411		ओबरा टीपीएस	11	200.00	31-12-77	ग	600	560	507
412		ओबरा टीपीएस	12	200.00	28-03-81	ग	600	513	517
413		ओबरा टीपीएस	13	200.00	21-07-82	ग	600	573	545
414		परिछा टीपीएस	3	210.00	29-03-06	ग	600	434	559
415		परिछा टीपीएस	4	210.00	28-12-06	ग	600	437	576
416		परिछा टीपीएस	5	250.00	24-05-12	ग	600	415	590
417		परिछा टीपीएस	6	250.00	11-03-13	ग	600	414	560
418		प्रयागराज टीपीपी	1	660.00	25-12-15	ग	200	784	595
419		प्रयागराज टीपीपी	2	660.00	06-09-16	ग	200	592	613
420		प्रयागराज टीपीपी	3	660.00	22-05-17	ग	100	809	591
421		रिहंद एसटीपीएस	1	500.00	31-03-88	ग	200	921	944
422		रिहंद एसटीपीएस	2	500.00	05-07-89	ग	200	957	958
423		रिहंद एसटीपीएस	3	500.00	31-01-05	ग	200	890	911
424		रिहंद एसटीपीएस	4	500.00	24-09-05	ग	200	910	923
425		रिहंद एसटीपीएस	5	500.00	25-05-12	ग	200	961	1015
426		रिहंद एसटीपीएस	6	500.00	17-10-13	ग	200	975	1039
427		रोसा टीपीपी फेज-I	1	300.00	10-02-10	ग	600	1158	1032
428		रोसा टीपीपी फेज-I	2	300.00	26-06-10	ग	600	1170	1057
429		रोसा टीपीपी फेज-II	3	300.00	28-12-11	ग	600	*	*
430		रोसा टीपीपी फेज-II	4	300.00	28-03-12	ग	600	*	*
431		सिंगरौली एसटीपीएस	1	200.00	14-02-82	ग	600	778	788
432		सिंगरौली एसटीपीएस	2	200.00	25-11-82	ग	600	800	795
433		सिंगरौली एसटीपीएस	3	200.00	28-03-83	ग	600	789	758
434		सिंगरौली एसटीपीएस	4	200.00	02-11-83	ग	600	802	760
435		सिंगरौली एसटीपीएस	5	200.00	26-02-84	ग	600	817	801
436		सिंगरौली एसटीपीएस	6	500.00	23-12-86	ग	200	786	764
437		सिंगरौली एसटीपीएस	7	500.00	24-11-87	ग	200	801	784
438		टांडा टीपीएस	1	110.00	21-03-88	ग	600	816	834
439		टांडा टीपीएस	2	110.00	11-03-89	ग	600	859	821
440		टांडा टीपीएस	3	110.00	28-03-90	ग	600	763	834

441	उत्तर प्रदेश	टांडा टीपीएस	4	110.00	20-02-98	ग	600	829	823
442		टांडा टीपीएस	6	660.00	31-03-21	ग	100	856	998
443		ऊंचाहार टीपीएस	1	210.00	21-11-88	ग	600	1188	1142
444		ऊंचाहार टीपीएस	2	210.00	22-03-89	ग	600	1176	1137
445		ऊंचाहार टीपीएस	3	210.00	27-01-99	ग	600	1173	1122
446		ऊंचाहार टीपीएस	4	210.00	22-10-99	ग	600	1157	1138
447		ऊंचाहार टीपीएस	5	210.00	28-09-06	ग	600	1176	1141
448	पश्चिम बंगाल	बकरेश्वर टीपीएस	1	210.00	07-06-09	ग	600	710	742
449		बकरेश्वर टीपीएस	2	210.00	17-07-99	ग	600	649	757
450		बकरेश्वर टीपीएस	3	210.00	20-05-00	ग	600	720	644
451		बकरेश्वर टीपीएस	4	210.00	21-03-01	ग	600	835	772
452		बकरेश्वर टीपीएस	5	210.00	24-12-07	ग	600	669	682
453		बैंडेल टीपीएस	2	60.00	01-10-65	ग	600	536	757
454		बैंडेल टीपीएस	5	210.00	08-10-82	ग	600	938	938
455		बज बज टीपीएस	1	250.00	16-09-97	ग	600	871	1025
456		बज बज टीपीएस	2	250.00	06-03-99	ग	600	960	1032
457		बज बज टीपीएस	3	250.00	29-09-09	ग	600	1137	1203
458		डी.पी.एल. टीपीएस	7	300.00	24-11-07	ख	600	853	843
459		डी.पी.एल. टीपीएस	8	250.00	31-03-14	ख	600	872	859
460		दुर्गापुर स्टील टीपीएस	2	500.00	23-03-12	ख	200	1051	684
461		फरक्का एसटीपीएस	1	200.00	01-01-86	ग	600	900	1036
462		फरक्का एसटीपीएस	2	200.00	24-12-86	ग	600	947	1033
463		फरक्का एसटीपीएस	3	200.00	06-08-87	ग	600	927	1028
464		फरक्का एसटीपीएस	4	500.00	25-09-92	ग	200	893	1082
465		फरक्का एसटीपीएस	5	500.00	16-02-94	ग	200	904	1044
466		फरक्का एसटीपीएस	6	500.00	07-03-11	ग	200	739	986
467		हल्दिया टीपीपी	1	300.00	14-01-15	ख	600	*	*
468		हल्दिया टीपीपी	2	300.00	16-02-15	ख	600	*	*
469		हिरण्मये टीपीपी	1	150.00	07-06-17	ख	100	619	621
470		हिरण्मये टीपीपी	2	150.00	31-12-17	ख	100	671	609
471		कोलाघाट टीपीएस	3	210.00	16-12-85	ग	600	948	888
472	कोलाघाट टीपीएस	4	210.00	24-01-84	ग	600	925	831	

473	पश्चिम बंगाल	कोलाघाट टीपीएस	5	210.00	28-12-93	ग	600	927	1012
474		कोलाघाट टीपीएस	6	210.00	17-03-91	ग	600	989	822
475		मेजिया टीपीएस	1	210.00	01-03-96	ग	600	704	560
476		मेजिया टीपीएस	2	210.00	24-03-97	ग	600	549	625
477		मेजिया टीपीएस	3	210.00	25-03-98	ग	600	649	644
478		मेजिया टीपीएस	4	210.00	12-10-04	ग	600	523	533
479		मेजिया टीपीएस	5	250.00	01-10-07	ग	600	633	521
480		मेजिया टीपीएस	6	250.00	26-03-11	ग	600	625	524
481		रघुनाथपुर टीपीपी	2	600.00	18-01-16	ग	200	627	501
482		सागरदिघी टीपीएस	1	300.00	20-07-08	ग	600	709	844
483		सागरदीघी टीपीएस	2	300.00	21-12-07	ग	600	721	712
484		सागरदीघी टीपीएस	3	500.00	14-12-15	ग	200	631	786
485		सागरदीघी टीपीएस	4	500.00	15-12-16	ग	200	813	878
486		संतालडीह टीपीएस	5	250.00	07-11-07	ग	600	1337	1266
487		संतालडीह टीपीएस	6	250.00	29-06-11	ग	600	1269	1331
488		दक्षिणी आरईपीएल टीपीएस	1	67.50	10-04-91	क	600	870	908
489		दक्षिणी आरईपीएल टीपीएस	2	67.50	12-08-90	क	600	870	908
490		टीटागढ़ टीपीएस	1	60.00	17-03-85	क	600	*	*
491		टीटागढ़ टीपीएस	2	60.00	12-12-82	क	600	*	*
492		टीटागढ़ टीपीएस	3	60.00	26-04-83	क	600	*	*
493	टीटागढ़ टीपीएस	4	60.00	16-01-84	क	600	*	*	

\*टीपीपी द्वारा या तो कोई उत्पादन नहीं हुआ या आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या- 217  
दिनांक 16 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

देश में बिजली खपत की प्रवृत्ति और बिजली सम्मिश्रण

**\*217. श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2024 सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में बिजली की दैनिक खपत और उसकी प्रवृत्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान बिजली की प्रति व्यक्ति खपत और उससे संबंधित प्रवृत्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान देश के बिजली ऊर्जा सम्मिश्रण और इसकी प्रवृत्ति का ब्यौरा क्या है;

(घ) बढ़ती मांग के मद्देनजर बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ईवी चार्जिंग के लिए बिजली की वर्तमान आवश्यकता और आने वाले वर्षों में इसमें होने वाली वृद्धि का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

विद्युत मंत्री  
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

## विवरण

'देश में बिजली खपत की प्रवृत्ति और बिजली सम्मिश्रण' के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 16.12.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या-217 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति को इंगित करते हुए दैनिक औसत ऊर्जा आपूर्ति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख) : वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति को इंगित करते हुए प्रति व्यक्ति विद्युत खपत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

(ग) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2024 तक) के लिए देश की स्रोतवार संस्थापित क्षमता का विवरण **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

(घ) : देश में बढ़ती विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम शुरू किया है:

क. विद्युत मंत्रालय ने राज्यों के साथ परामर्श करके वर्ष 2031-32 तक न्यूनतम 80,000 मेगावाट की तापीय क्षमता जोड़ने की योजना बनाई है। इस लक्ष्य के निमित्त 29,200 मेगावाट तापीय क्षमता पहले से ही निर्माणाधीन है, जबकि 51,520 मेगावाट आयोजना और विकास के विभिन्न चरणों में है।

ख. 13,997.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं और 6,050 मेगावाट पम्प भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। 24,225.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं और 50,760 मेगावाट की पीएसपी आयोजना के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

ग. 7,300 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता निर्माणाधीन है तथा 7,000 मेगावाट क्षमता आयोजना एवं अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

घ. देश की वर्तमान संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता 2,03,215 मेगावाट है। इसके अलावा 1,27,050 मेगावाट की आरई निर्माणाधीन है और 89,690 मेगावाट निविदाकरण के विभिन्न चरणों में है। भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को 5,00,000 मेगावाट से अधिक तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है।

(ii) विद्युत अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत आयातित कोयला आधारित संयंत्रों को अपनी पूर्ण क्षमता से प्रचालन एवं विद्युत उत्पादन करने के निदेश जारी किए गए हैं।



- (iii) ईंधन की कमी से निराकरण करने के लिए सभी ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
- (iv) आईपीपी और केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों सहित सभी जेनको को नियोजित रखरखाव या मजबूरन कटौती की अवधि को छोड़कर दैनिक आधार पर पूर्ण उपलब्धता बनाए रखने और उत्पादन करने की सलाह दी गई है।
- (v) हाइड्रो आधारित उत्पादन को इस तरह से शेड्यूल किया जा रहा है ताकि व्यस्ततम अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए पानी का संरक्षण किया जा सके।
- (vi) उच्च मांग की अवधि के दौरान उत्पादन यूनिट्स के नियोजित रखरखाव को कम किया जा रहा है।
- (vii) समय पर नई विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बारीकी से निगरानी की जा रही है।
- (viii) सरकार ने विनियामक फ्रेमवर्क के माध्यम से विद्युत व्यापार की सुविधा प्रदान की है, जिसके तहत अधिशेष उत्पादन वाले राज्य तीन (3) पावर एक्सचेंज अर्थात इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स), पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से कमी वाले राज्यों को विद्युत बेच सकते हैं। इन एक्सचेंज का उपयोग राज्यों द्वारा विद्युत के अंतर-राज्य व्यापार के लिए किया जा रहा है।
- (ix) पावर एक्सचेंज में रियल टाइम मार्केट (आरटीएम), ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम), हाई प्राइस डे अहेड मार्केट (एचपीडीएम) को जोड़कर बिजली बाजार में सुधार किया गया है। साथ ही, डिस्कॉम द्वारा अल्पकालिक विद्युत की खरीद के लिए ई-बोली और ई-रिवर्स के लिए दीप पोर्टल (डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंसी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस) भी है।

इसके अलावा, सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) 5,00,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण के लिए पारेषण योजना को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- (ii) सौर, पवन, पंप भंडारण संयंत्र और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों से उत्पन्न विद्युत के पारेषण पर आईएसटीएस प्रभार माफ किया जाएगा।
- (iii) वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) और ऊर्जा भंडारण दायित्व ट्रेजेक्टरी।
- (iv) हरित ऊर्जा गलियारों का निर्माण और 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों की स्थापना।

- (v) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारिषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की संस्थापना।
- (vi) सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार 24,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को लागू कर रही है। इससे उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगावाट (जीडब्ल्यू) पैमाने की विनिर्माण क्षमता सक्षम हो जाएगी।

(ड) : विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 73(क) के अनुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा मध्यम और दीर्घकालिक आधार पर देश की विद्युत की मांग का अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) आयोजित किया जाता है। 20वीं ईपीएस रिपोर्ट की मध्यावधि समीक्षा के हिस्से के रूप में, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की चार्जिंग के कारण विद्युत की मांग का अनुमान लगाया गया था। वर्ष 2024-25 से 2029-30 की अवधि के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों के कारण अनुमानित ऊर्जा आवश्यकता का विवरण **अनुबंध-IV** पर दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति को इंगित करते हुए दैनिक औसत ऊर्जा आपूर्ति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल, 2021 - मार्च, 2022		अप्रैल, 2022 - मार्च, 2023		अप्रैल, 2023 - मार्च, 2024		अप्रैल, 2024 - अक्टूबर, 2024	
	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा आपूर्ति (दैनिक औसत)	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा आपूर्ति (दैनिक औसत)	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा आपूर्ति (दैनिक औसत)	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा आपूर्ति (दैनिक औसत)
	(एमयू)	(एमयू)/दिन	(एमयू)	(एमयू)/दिन	(एमयू)	(एमयू)/दिन	(एमयू)	(एमयू)/दिन
चंडीगढ़	1,606	4.4	1,788	4.9	1,789	4.9	1,360	6.4
दिल्ली	31,122	85.3	35,133	96.3	35,496	97.0	26,693	124.7
हरियाणा	55,209	151.3	60,945	167.0	63,636	173.9	47,490	221.9
हिमाचल प्रदेश	12,088	33.1	12,542	34.4	12,767	34.9	7,964	37.2
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	18,434	50.5	19,322	52.9	19,763	54.0	11,042	51.6
पंजाब	62,411	171.0	69,220	189.6	69,528	190.0	54,610	255.2
राजस्थान	89,310	244.7	1,00,057	274.1	1,06,806	291.8	64,860	303.1
उत्तर प्रदेश	1,28,310	351.5	1,43,050	391.9	1,48,287	405.2	1,11,188	519.6
उत्तराखंड	15,426	42.3	15,386	42.2	15,532	42.4	10,479	49.0
छत्तीसगढ़	31,872	87.3	37,374	102.4	39,872	108.9	25,640	119.8
गुजरात	1,23,666	338.8	1,38,999	380.8	1,45,740	398.2	89,842	419.8
मध्य प्रदेश	86,455	236.9	92,325	252.9	99,150	270.9	55,841	260.9
महाराष्ट्र	1,72,809	473.4	1,87,197	512.9	2,06,931	565.4	1,14,777	536.3
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	9,433	25.8	10,018	27.4	10,164	27.8	6,351	29.7
गोवा	4,448	12.2	4,669	12.8	5,111	14.0	3,157	14.8
आंध्र प्रदेश	68,219	186.9	71,893	197.0	80,151	219.0	46,475	217.2
तेलंगाना	70,523	193.2	77,799	213.1	84,613	231.2	48,385	226.1
कर्नाटक	72,417	198.4	75,663	207.3	93,934	256.7	50,018	233.7
केरल	26,570	72.8	27,726	76.0	30,938	84.5	18,407	86.0
तमिलनाडु	1,09,798	300.8	1,14,722	314.3	1,26,151	344.7	79,600	372.0
पुदुचेरी	2,893	7.9	3,050	8.4	3,455	9.4	2,205	10.3
लक्षद्वीप	56	0.2	64	0.2	64	0.2	39	0.2
बिहार	35,761	98.0	38,762	106.2	40,918	111.8	29,656	138.6
झारखंड	23,736	65.0	26,330	72.1	26,552	72.5	15,536	72.6
झारखंड	10,590	29.0	12,288	33.7	13,858	37.9	9,286	43.4
ओडिशा	38,332	105.0	42,584	116.7	41,333	112.9	26,991	126.1
पश्चिम बंगाल	53,945	147.8	60,274	165.1	67,490	184.4	46,687	218.2
सिक्किम	609	1.7	587	1.6	543	1.5	297	1.4
अंडमान-निकोबार द्वीप	327	0.9	348	1.0	374	1.0	240	1.1
अरुणाचल प्रदेश	874	2.4	892	2.4	1,014	2.8	601	2.8
असम	10,825	29.7	11,465	31.4	12,341	33.7	8,533	39.9
मणिपुर	1,018	2.8	1,014	2.8	1,008	2.8	579	2.7
मेघालय	2,243	6.1	2,237	6.1	2,066	5.6	1,128	5.3
मिजोरम	644	1.8	645	1.8	684	1.9	391	1.8
नागालैंड	851	2.3	873	2.4	921	2.5	570	2.7
त्रिपुरा	1,578	4.3	1,547	4.2	1,691	4.6	1,235	5.8
<b>अखिल भारतीय</b>	<b>13,74,024</b>	<b>3,764.5</b>	<b>15,05,914</b>	<b>4,125.8</b>	<b>16,22,020</b>	<b>4,431.7</b>	<b>10,25,379</b>	<b>4,791.5</b>

वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति को इंगित करते हुए प्रति व्यक्ति विद्युत खपत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रति व्यक्ति विद्युत खपत (किलोवाट घंटा में)		
	2020-21	2021-22	2022-23
चंडीगढ़	1460	1529	1674
दिल्ली	1619	1684	1848
हरियाणा	2131	2186	2360
हिमाचल प्रदेश	1478	1742	1799
जम्मू और कश्मीर	1402	1475	1526
पंजाब	2200	2350	2574
राजस्थान	1301	1345	1501
उत्तर प्रदेश	634	663	723
उत्तराखंड	1384	1520	1536
छत्तीसगढ़	1923	2211	2117
गुजरात	2048	2239	2393
मध्य प्रदेश	1271	1232	1230
महाराष्ट्र	1378	1588	1676
दमन एवं दीव	5473	5914	8870
दादर एवं नगर हवेली	10478	12250	
गोवा	3137	3736	3360
आंध्र प्रदेश	1434	1567	1634
तेलंगाना	2012	2126	2349
कर्नाटक	1284	1376	1425
केरल	814	844	882
तमिलनाडु	1549	1714	1763
पुडुचेरी	2031	2138	2145
लक्षद्वीप	820	819	960
बिहार	316	329	348
झारखंड	794	867	992
ओडिशा	1829	2264	2419
पश्चिम बंगाल	697	733	819
सिक्किम	911	1011	954
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	873	878	932
अरुणाचल प्रदेश	528	645	651
असम	350	384	398
मणिपुर	347	362	354
मेघालय	679	751	730
मिजोरम	645	582	564
नागालैंड	421	433	445
त्रिपुरा	449	435	444
<b>कुल अखिल भारतीय</b>	<b>1161</b>	<b>1255</b>	<b>1331</b>

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्तूबर, 2024 तक) के लिए देश की स्रोतवार संस्थापित क्षमता का विवरण

(सभी आंकड़े मेगावाट में)

वर्ष	मोड के अनुसार ब्रेकअप									कुल योग
	थर्मल					न्यूक्लीयर	नवीकरणीय			
	कोयला	लिग्नाइट	गैस	डीजल	कुल		हाइड्रो	आरईएस*	कुल	
31.03.2022 तक	2,04,080	6,620	24,900	510	2,36,109	6,780	46,723	1,09,885	1,56,608	3,99,497
31.03.2023 तक	2,05,236	6,620	24,824	589	2,37,269	6,780	46,850	1,25,160	1,72,010	4,16,059
31.03.2024 तक	2,10,969	6,620	25,038	589	2,43,217	8,180	46,928	1,43,645	1,90,573	4,41,970
31.10.2024 तक	2,11,030	6,620	24,818	589	2,43,057	8,180	46,968	1,56,247	2,03,215	4,54,452

नोट: \*आरईएस (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) में सौर और पवन ऊर्जा, लघु जलविद्युत परियोजना ( $\leq 25$  मेगावाट), बायोमास ऊर्जा और शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट ऊर्जा शामिल हैं।

वर्ष 2024-25 से 2029-30 की अवधि के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों के कारण अनुमानित ऊर्जा आवश्यकता का विवरण:

(सभी आंकड़े एमयू में)

वर्ष	ऊर्जा की आवश्यकता
2024-25	7170
2025-26	12160
2026-27	18910
2027-28	27688
2028-29	38788
2029-30	52604

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2383  
दिनांक 16 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

मंत्रालय के अधीन रिक्त पद

2383. श्री ए. ए. रहीम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के अधीन विभिन्न अभिकरणों और संस्थाओं में कितने पद रिक्त हैं;

(ख) पिछले चार वर्षों के दौरान कितनी भर्तियां की गई हैं;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने नए पद सृजित किए गए हैं; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ): मंत्रालय के अधीन विभिन्न एजेंसियों और संस्थानों में रिक्त पदों की संख्या, पिछले चार वर्षों के दौरान की गई भर्तियों की संख्या, पिछले पांच वर्षों के दौरान सृजित पदों की संख्या तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्त पदों की संख्या का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध (I) से (IV) पर है।

## मंत्रालय के अधीन विभिन्न एजेंसियों और संस्थानों में रिक्त पदों की संख्या (दिनांक 12.12.2024 तक)

क्रम सं.	संगठन के नाम	मंत्रालय के अधीन विभिन्न एजेंसियों और संस्थानों में रिक्त पदों की संख्या (दिनांक 12.12.2024 तक)
1.	विद्युत मंत्रालय	49
2.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	263
3.	विद्युत अपीलीय अधिकरण	06
4.	गोवा और यूटी के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग	02
5.	जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग	14
6.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	15
7.	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	36
8.	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	83
9.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	115
10.	दामोदर घाटी निगम	53
11.	भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड	6604
12.	ग्रिड इंडिया लिमिटेड	43
13.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन	37
14.	एनएचपीसी लिमिटेड	370
15.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	97
16.	एसजेवीएन लिमिटेड	681
17.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	196
18.	मणिपुर और मिओरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग	शून्य
19.	आरईसी लिमिटेड	74
20.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	999
21.	एनटीपीसी लिमिटेड	390
	<b>महा योग</b>	<b>10127</b>



पिछले चार वर्षों के दौरान की गई भर्तियों की संख्या (दिनांक 12.12.2024 तक)

क्रम सं.	संगठन के नाम	पिछले चार वर्षों के दौरान की गई भर्तियों की संख्या (दिनांक 12.12.2024 तक)
1.	विद्युत मंत्रालय	23
2.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	162
3.	विद्युत अपीलीय अधिकरण	शून्य
4.	गोवा और यूटी के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग	शून्य
5.	जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग	शून्य
6.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	07
7.	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	शून्य
8.	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	111
9.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	05
10.	दामोदर घाटी निगम	766
11.	भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड	17
12.	ग्रिड इंडिया लिमिटेड	118
13.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन	112
14.	एनएचपीसी लिमिटेड	897
15.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	464
16.	एसजेवीएन लिमिटेड	818
17.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	53
18.	मणिपुर और मिओरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग	शून्य
19.	आरईसी लिमिटेड	293
20.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1938
21.	एनटीपीसी लिमिटेड	4800
	<b>महा योग</b>	<b>10584</b>

पिछले पांच वर्षों के दौरान सृजित पदों की संख्या (दिनांक 12.12.2024 तक)

क्रम सं.	संगठन के नाम	पिछले पांच वर्षों के दौरान सृजित नये पदों की संख्या (दिनांक 12.12.2024 तक)
1.	विद्युत मंत्रालय	शून्य
2.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	शून्य
3.	विद्युत अपीलीय अधिकरण	शून्य
4.	गोवा और यूटी के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग	शून्य
5.	जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग	14
6.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	43
7.	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	शून्य
8.	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	शून्य
9.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	शून्य
10.	दामोदर घाटी निगम	192
11.	भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड	शून्य
12.	ग्रिड इंडिया लिमिटेड	234
13.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन	118
14.	एनएचपीसी लिमिटेड	188
15.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	03
16.	एसजेवीएन लिमिटेड	06
17.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शून्य
18.	मणिपुर और मिओरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग	शून्य
19.	आरईसी लिमिटेड	शून्य
20.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	820
21.	एनटीपीसी लिमिटेड	शून्य
	<b>महा योग</b>	<b>1618</b>

पिछले पांच वर्षों के दौरान कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्त पदों की संख्या (दिनांक 12.12.2024 तक)

क्रम सं.	संगठन के नाम	पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुबंध के आधार पर नियुक्त पदों की संख्या (दिनांक 12.12.2024 तक)
1.	विद्युत मंत्रालय	05
2.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	739
3.	विद्युत अपीलीय अधिकरण	332
4.	गोवा और यूटी के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग	शून्य
5.	जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग	शून्य
6.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	62
7.	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	165
8.	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	65
9.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	11
10.	दामोदर घाटी निगम	204
11.	भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड	02
12.	ग्रिड इंडिया लिमिटेड	शून्य
13.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन	69
14.	एनएचपीसी लिमिटेड	41
15.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	245
16.	एसजेवीएन लिमिटेड	623
17.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13
18.	मणिपुर और मिओरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग	शून्य
19.	आरईसी लिमिटेड	शून्य
20.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	701
21.	एनटीपीसी लिमिटेड	879
	<b>महा योग</b>	<b>4156</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2385  
दिनांक 16 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत

2385. डा. अशोक कुमार मित्तल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल ऊर्जा खपत और प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों द्वारा पूरी की गई कुल खपत की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न आर्थिक विकास योजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और सब्सिडी देने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं, यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति और अगले पांच वर्षों के लिए अनुमान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण को किस प्रकार कार्यान्वित कर रही है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान देश में ऊर्जा की आपूर्ति का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर है। वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में प्रति व्यक्ति खपत क्रमशः 1161 किलोवाट घंटा, 1255 किलोवाट घंटा और 1331 किलोवाट घंटा थी।

(ख) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2024 तक) के लिए नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा की मात्रा और प्रतिशत को दर्शाने वाला स्रोतवार उत्पादन का ब्यौरा **अनुबंध-II** पर है।

(ग) : भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की प्रतिबद्धता को मूर्त रूप देने हेतु देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और उसमें तेजी लाने के लिए कई कदम और पहल की शुरुआत की है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 50 गीगावाट/वर्ष की नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बोलियां जारी करने के लिए बोली ट्रेजेक्टरी जारी किया है।
- ख) स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- ग) हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए दिसंबर, 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसंबर, 2032 तक एवं दिनांक 30 जून 2025 तक शुरू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क माफ कर दिए गए हैं।
- घ) नवीकरणीय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) ट्रेजेक्टरी को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ का अनुपालन न करने पर दंड लगाया जाएगा।
- ङ) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और फर्म और डिस्पैचेबल आरई (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- च) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना जैसी स्कीम की शुरुआत की गई है।
- छ) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना की योजना लागू की जा रही है।
- ज) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नए सब-स्टेशन क्षमता का निर्माण करने के लिए वित्तपोषित किया गया है।
- झ) "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति" जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की बोली लगाने की संभावना और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यावसायिक मॉडल दर्शाए गए हैं।
- ञ) अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे के अनुदान को विनियमित करने के लिए विदेश मंत्रालय की अधिसूचना दिनांकित 19 दिसंबर, 2023 के माध्यम से अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को अधिसूचित किया गया है।

- ट) तीव्र नवीकरणीय ऊर्जा प्रक्षेप पथ हेतु आवश्यक पारेषण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, वर्ष 2030 तक पारेषण योजना तैयार की गई है।
- ठ) दिनांक 06 जून 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुँच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन) नियम, 2022 अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय और संधारणीय हरित ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना है। हरित ऊर्जा खुली पहुँच किसी भी उपभोक्ता को प्रदान की जाती है, जिसकी अनुबंध मांग 100 किलोवाट या उससे अधिक है। यह एकल या एकाधिक एकल कनेक्शन के माध्यम से वितरण लाइसेंसधारी के एक ही विद्युत प्रभाग में स्थित सौ किलोवाट या उससे अधिक है।
- ड) एक्सचेंज के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम) शुरू किया गया है।
- द) सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार 24,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को लागू कर रही है। इससे उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगा वाट (जीडब्ल्यू) स्तर की विनिर्माण क्षमता सक्षम होगी।

(घ) : सरकार ने विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण के लिए विभिन्न उपाय किए हैं: -

- क) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ तालमेल बनाने के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण नेटवर्क के विकास की योजना बनाई जा रही है। एंकरिंग वोल्टेज स्थिरता, कोणीय स्थिरता, हानि में कमी आदि के संदर्भ में बेहतर विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अंतर-राज्यीय नेटवर्क के साथ आईएसटीएस नवीकरणीय ऊर्जा स्कीम का मजबूत अंतर-संयोजन बनाया जा रहा है।
- ख) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की परिवर्तनशीलता का समाधान करने के लिए तापविद्युत उत्पादन का अनुकूलन अनिवार्य है।
- ग) सीईए (ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम में ग्रिड के सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के लिए न्यूनतम तकनीकी आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रिड से कनेक्टिविटी/इंटरकनेक्शन प्रदान करने से पहले नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उक्त विनियमों के अनुपालन को केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयूआईएल) और ग्रिड-इंडिया/आरएलडीसी द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापित किया जाता है। किसी भी नए संयंत्र को ग्रिड से जोड़ने से पहले अनुपालन का पुख्ता सत्यापन किया जाता है।
- घ) भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में अधिदेशित किया गया है कि आकस्मिकताओं के मामले में नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र प्राथमिक और द्वितीयक आवृत्ति नियंत्रण में भाग लें। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशीलता को कम करने और ग्रिड को पर्याप्त आवृत्ति सहायता प्रदान करने के लिए हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों जैसे बीईएसएस और पीएसपी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान देश में ऊर्जा की आपूर्ति का ब्यौरा

वर्ष	ऊर्जा की आपूर्ति
	(एमयू)
2021-22	1,374,024
2022-23	1,505,914
2023-24	1,622,020
2024-25 (अक्टूबर, 2024 तक)	1,025,379

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2024 तक) के लिए नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा की मात्रा और प्रतिशत का स्रोत-वार उत्पादन का ब्यौरा:

ईंधन	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (अक्टूबर, 2024 तक)		
	उत्पादन (मिलियन यूनिट में)	कुल उत्पादन का %	उत्पादन (मिलियन यूनिट में)	कुल उत्पादन का %	उत्पादन (मिलियन यूनिट में)	कुल उत्पादन का %	उत्पादन (मिलियन यूनिट में)	कुल उत्पादन का %	
थर्मल	कोयला	1041487.43	69.81	1145907.58	70.54	1260902.62	72.50	760676.37	68.87
	डीजल/एचएसडी	117.24	0.01	229.71	0.01	400.58	0.02	256.98	0.02
	लिग्नाइट	37094.04	2.49	36188.34	2.23	33949.79	1.95	19839.27	1.80
	मल्टी फ्यूल		0.00		0.00		0.00	0	0.00
	नाफ्था	0	0.00	0.83	0.00	0.03	0.00	0	0.00
	प्राकृतिक गैस	36015.77	2.41	23884.21	1.47	31295.91	1.80	23503.13	2.13
कुल थर्मल	1114714.48	74.72	1206210.67	74.25	1326548.93	76.28	804275.75	72.82	
न्यूक्लियर	47112.06	3.16	45861.09	2.82	47937.41	2.76	33095.54	3.00	
हाइड्रो	151627.33	10.16	162098.77	9.98	134053.92	7.71	109037.18	9.87	
भूटान से आयात	7493.2	0.50	6742.4	0.42	4716.1	0.27	5087.2	0.46	
कुल पारंपरिक	1320947.07	88.54	1420912.93	87.47	1513256.36	87.01	951495.67	86.15	
कुल नवीकरणीय	170912.30	11.46	203552.68	12.53	225834.83	12.99	152960.81	13.85	
महा योग	1491859.37	100.00	1624465.61	100.00	1739091.19	100.00	1104456.48	100.00	

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2386  
दिनांक 16 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र (हब)

2386. श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश सतत विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के अपने प्रयासों के साथ जुड़ा हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हब में शामिल होने के बाद देश को क्या लाभ होंगे;

(घ) कौन-कौन से देश अब तक हब में शामिल हो चुके हैं; और

(ङ) क्या भारत की ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में योगदान देगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : सतत विकास के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता इस तथ्य से स्पष्ट है कि देश ने अपने पहले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों को समय से पहले ही हासिल कर लिया है। इसके बाद, भारत ने वर्ष 2021 में सीओपी 26 में अपने एनडीसी को अद्यतन किया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन सघनता को वर्ष 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत कम करना और प्रौद्योगिकी अंतरण और कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त की सहायता से वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति संस्थापित क्षमता प्राप्त करना है।

अक्टूबर, 2024 तक, गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से संचयी विद्युत शक्ति संस्थापित क्षमता कुल संचयी विद्युत शक्ति संस्थापित क्षमता का लगभग 46.2% है। भारत का अद्यतन एनडीसी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास के साथ-साथ कम कार्बन उत्सर्जन मार्ग की दिशा में काम करने की हमारी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करता है।

(ख) और (ग) : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर, 2024 में भारत को ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने के बाद देश को मिलने वाले लाभों में शामिल हैं:

- (i) नवीन ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों और अवधारणाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में सीखना, जिन्हें वैश्विक स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
- (ii) ऊर्जा दक्षता में भारत के योगदान को प्रदर्शित करना और नेतृत्व का प्रदर्शन करना।
- (iii) उद्योग, भवन और परिवहन सहित सभी क्षेत्रों में ऊर्जा-कुशल उपकरण लगाने में तेजी लाना।
- (iv) ऊर्जा दक्षता में नवीनतम अनुसंधान और विकास तक पहुँच को सुगम बनाना।

**(घ) :** अक्टूबर 2024 तक, 16 देश - अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपियन कमीशन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, लक्जमबर्ग, रूस, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम - ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गए हैं।

**(ङ) :** विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के तहत एक सांविधिक निकाय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का समाधान करने और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के भारत के प्रयासों को पूरक बनाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार की दिशा में कई पहल की हैं।

इस संबंध में प्रमुख पहलों में कुशल उपकरणों के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम, टिकाऊ भवन निर्माण के लिए ऊर्जा संरक्षण और सतत भवन संहिता, बड़े उद्योगों में दक्षता के लिए प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार कार्यक्रम, परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता, मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) और भारतीय कार्बन बाजार शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2023 तक, विभिन्न ऊर्जा दक्षता उपायों के परिणामस्वरूप वार्षिक CO<sub>2</sub> उत्सर्जन में 306 मिलियन टन की कमी आई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2387  
दिनांक 16 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के घरों का विद्युतीकरण

2387. श्री मयंक भाई जयदेव भाई नायक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरस्थ और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के घरों की संख्या क्या है जिनका अब तक विद्युतीकरण कर दिया गया है; और

(ख) सामान्य आबादी के जीवन पर विद्युतीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है और इससे उन्हें क्या अवसर प्राप्त होते हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, भारत सरकार, स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी चिन्हित घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहायता दे रही है। 1,29,269 पीवीटीजी घरों के विद्युतीकरण के लिए 516 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं (राज्य-वार विवरण अनुबंध-I पर है)। इसके अतिरिक्त, नई सौर विद्युत स्कीम के अंतर्गत, 9,863 पीवीटीजी घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण के लिए 49 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं (राज्य-वार विवरण अनुबंध-II पर है)। अब तक, पीएम-जनमन के अंतर्गत 93,373 पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(ख) : विद्युतीकरण का आम जनता पर कई तरह से व्यापक प्रभाव पड़ता है। घरों के विद्युतीकरण, विशेष रूप से दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में, व्यापार और रोजगार के अवसरों, शैक्षिक उपलब्धियों और कृषि उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, दूरस्थ क्षेत्रों सहित गांवों का विद्युतीकरण राज्य की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि में योगदान देता है, जो उन्नत जीवन स्तर को दर्शाता है।

आरडीएसएस के अंतर्गत पीवीटीजी घरेलू विद्युतीकरण					
क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपये)	संस्वीकृत जीबीएस (करोड़ रुपये)	संस्वीकृत कुल घर	दिनांक 05.12.2024 तक विद्युतीकृत घर
<b>क1</b>	<b>आरडीएसएस के अंतर्गत</b>				
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	25,054	24,411
2	बिहार	0.28	0.17	51	0
3	छत्तीसगढ़	38.17	22.90	7,077	4,323
4	झारखंड	74.13	44.47	12,442	62
5	मध्य प्रदेश	143.39	86.02	29,290	9,466
6	महाराष्ट्र	26.61	15.96	8,556	9,216
7	राजस्थान	40.34	24.20	17,633	15,817
8	कर्नाटक	3.77	2.26	1,615	1,063
9	केरल	0.86	0.52	345	309
10	तमिलनाडु	29.89	17.94	10,673	4,851
11	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884	3,884
12	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664	6,721
13	उत्तराखंड	0.60	0.54	669	669
14	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	316	195
	<b>उप जोड़ (क1)</b>	<b>516.15</b>	<b>328.31</b>	<b>1,29,269</b>	<b>80,987</b>
<b>क2</b>	<b>राज्य योजना के अंतर्गत</b>				
1	गुजरात	0	0	0	6,626
2	ओडिशा	0	0	0	1,326
3	पश्चिम बंगाल	0	0	0	3,372
	<b>उप जोड़(क2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,324</b>
	<b>कुल (=क1+क2)</b>	<b>516.15</b>	<b>328.31</b>	<b>1,29,269</b>	<b>92,311</b>

नई सौर विद्युत स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत ऑफ-ग्रिड सौर आधारित घरेलू विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत कुल घर	दिनांक 05.12.2024 तक विद्युतीकृत घर
1	आंध्र प्रदेश	1,675	105
2	छत्तीसगढ़	1,578	0
3	झारखंड	2,342	831
4	कर्नाटक	179	0
5	मध्य प्रदेश	2,060	0
6	तेलंगाना	326	126
7	त्रिपुरा	1,703	0
कुल		9,863	1,062

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2388  
दिनांक 16 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

जल विद्युत परियोजनाएँ

2388. सुश्री सुष्मिता देव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे विशिष्ट मानदंड या बेंचमार्क क्या हैं जिनका उपयोग इस योजना के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए पात्र जल विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए किया जाएगा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) संयुक्त उद्यम (जेवी) मॉडल के भीतर विशेष रूप से परियोजना निष्पादन, प्रबंधन और जोखिम साझाकरण के संदर्भ में राज्य सरकारों और सीपीएसयू की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं;

(ग) किन शर्तों के तहत राज्यों से परियोजनाओं की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त बिजली प्रदान करने या बिजली बिल माफ करने अथवा एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति करने की उम्मीद की जाती है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या असम में विशेष रूप से बराक घाटी के तीन जिलों में जल विद्युत परियोजना का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पूर्वोक्त क्षेत्रों की राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के साथ, पूर्वोक्त क्षेत्र में व्यवहार्य जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए, भारत सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोक्त क्षेत्र की राज्य सरकारों के इक्विटी हिस्से को वित्तपोषित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) की स्कीम को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें कुल परियोजना इक्विटी के 24% पर अधिकतम 750 करोड़ रुपये प्रति परियोजना की सहायता का प्रावधान है। इस स्कीम में 750 करोड़ रुपये की उपर्युक्त सीमा पर मामला-दर-मामला आधार पर पुनर्विचार करने का प्रावधान भी है। परियोजना को व्यवहार्य माने जाने के लिए, परियोजना से उत्पादित विद्युत का मूल्य प्रतिस्पर्धी और बाजार में बिक्री योग्य होना चाहिए। राज्यों को परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए मुफ्त विद्युत को छोड़ना/अंतरित करना और/या राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति करना आवश्यक है।

(ख) : सीएफए स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक, सीपीएसयू की सभी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार और उस सीपीएसयू के बीच एक संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी बनाई जानी है। संयुक्त उद्यम कंपनी के मुख्य कार्यकारी

अधिकारी और बोर्ड के अध्यक्ष सीपीएसयू द्वारा नामित किए जाएंगे। निदेशक मंडल के सदस्य संबंधित सीपीएसयू और राज्य सरकार द्वारा उनकी इक्विटी शेयर होल्डिंग के अनुपात में नामांकन के आधार पर नियुक्त किया जाना है। विद्युत मंत्रालय प्रत्येक संयुक्त उद्यम कंपनी में एक नामित निदेशक नियुक्त किए जाएंगे।

संयुक्त उद्यम कंपनी में भागीदार होने के नाते, राज्य सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भूमि अधिग्रहण में विलंब, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन तथा स्थानीय कानून एवं व्यवस्था से संबंधित मुद्दों का समाधान करके जोखिम एवं जिम्मेदारियों को साझा करेगी। सीपीएसयू की जिम्मेदारियां प्रमुख परियोजना गतिविधियों का प्रबंधन करना है, जैसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, मंजूरी प्राप्त करना, बोली प्रक्रिया को संभालना, अनुबंध प्रदान करना, इंजीनियरिंग और गुणवत्ता नियंत्रण की देखरेख करना। संयुक्त उद्यम कंपनी में इक्विटी योगदान दोनों पक्षों द्वारा आनुपातिक रूप से साझा किया जाना है। परियोजना में किसी भी लागत वृद्धि के लिए, दोनों पक्ष आनुपातिक रूप से अतिरिक्त इक्विटी का योगदान करेंगे। यह राज्य सरकार और सीपीएसयू के बीच समान जोखिम साझा करने के लिए परिकल्पित है।

**(ग) :** यदि परियोजना से उत्पादित विद्युत का मूल्य बाजार में प्रतिस्पर्धी और/या बिक्री योग्य नहीं है, तो राज्यों को परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए मुफ्त विद्युत को छोड़ना/अंतरित करना और/या राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति करना आवश्यक है।

**(घ) :** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, असम राज्य में ऐसी कोई जल विद्युत परियोजना नहीं है जो सर्वेक्षण एवं जांच के अधीन हो या सीईए में परीक्षणाधीन हो।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2389  
दिनांक 16 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

स्मार्ट मीटर लगाया जाना

2389. सुश्री सुष्मिता देव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्मार्ट मीटर की लगाये जाने का कार्य स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएमएनपी) के तहत किया जाता है, यदि हां, तो असम राज्य में जिले-वार ब्यौरे सहित स्मार्ट मीटर लगाये गए घरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश भर में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बढ़े हुए बिजली बिलों की चिंताओं से अवगत है, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाए जाते हैं, यदि हां, तो क्या घरों में स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरुआत की, ताकि वितरण यूटिलिटी अर्थात डिस्कॉम/विद्युत विभागों की प्रचालनात्मक क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार किया जा सके, ताकि विद्युत की गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय आपूर्ति प्रदान की जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत प्रमुख पहलों में से एक उपभोक्ता स्मार्ट मीटरिंग है। आरडीएसएस के अंतर्गत संस्थापित स्मार्ट उपभोक्ता मीटरों का राज्यवार विवरण अनुबंध-I पर है। असम राज्य के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट उपभोक्ता मीटरों का जिलावार विवरण अनुबंध-II पर है।

(ख) : सटीक बिलिंग जानकारी प्रदान करने की उनकी क्षमता स्मार्ट मीटर के प्राथमिक लाभों में से एक है। स्मार्ट मीटर वितरण यूटिलिटी की बिलिंग प्रणाली को खपत डेटा को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करके और संचारित करके मैन्युअल रीडिंग के कारण होने वाली अशुद्धियों को समाप्त करते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्मार्ट मीटर ठीक से काम करें और उत्पादित बिल सटीक हों, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- स्मार्ट मीटरों को प्रासंगिक तकनीकी और गुणवत्ता मानकों का पालन करना आवश्यक है तथा उनके पास वैध परीक्षण और बीआईएस प्रमाणपत्र होना चाहिए।



- ii. स्मार्ट मीटर की रीडिंग को रैंडम आधार पर सत्यापित करने के लिए चेक मीटर की संस्थापना के लिए सलाह जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं से शिकायतें मिलने पर अनिवार्य रूप से चेक मीटर संस्थापित किए जाने हैं।
- iii. विद्युत की खपत पर नज़र रखने के लिए स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- iv. मंत्रालय ने स्मार्ट मीटरों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए विभिन्न निर्देश और परामर्श भी जारी किए हैं।
- v. यूटिलिटी को ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करनी होगी जिसके माध्यम से उपभोक्ता विद्युत से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।

(ग) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की संस्थापना और प्रचालन) (संशोधन) विनियम, 2022 के अनुसार, संचार नेटवर्क वाले क्षेत्रों में सभी उपभोक्ताओं को प्रासंगिक भारतीय मानकों (आईएस) के अनुरूप, पूर्व भुगतान मोड में काम करने वाले स्मार्ट मीटर के साथ विद्युत आपूर्ति की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के अनुसार, बिना मीटर के कोई कनेक्शन नहीं दिया जाएगा और ऐसा मीटर स्मार्ट प्री-पेमेंट मीटर या प्री-पेमेंट मीटर होगा।

## आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत स्मार्ट उपभोक्ता मीटरों का राज्य-वार विवरण

क्रम सं.	राज्य	संस्वीकृत	दिनांक 29.11.2024 तक संस्थापित
1	अंडमान एवं निकोबार	83,573	0
2	आंध्र प्रदेश	56,08,846	3,85,974
3	अरुणाचल प्रदेश	2,87,446	0
4	असम	63,64,798	22,89,478
5	बिहार	23,50,000	19,39,428
6	छत्तीसगढ़	59,62,115	5,61,205
7	गोवा	7,41,160	0
8	गुजरात	1,64,81,871	2,19,432
9	हिमाचल प्रदेश	28,00,945	42,921
10	जम्मू और कश्मीर	14,07,045	1,000
11	झारखंड	13,41,306	0
12	केरल	1,32,89,361	0
13	मध्य प्रदेश	1,29,80,102	10,13,252
14	महाराष्ट्र	2,35,64,747	3,55,040
15	मणिपुर	1,54,400	77
16	मेघालय	4,60,000	0
17	मिजोरम	2,89,383	0
18	नागालैंड	3,17,210	0
19	पुदुचेरी	4,03,767	0
20	पंजाब	87,84,807	0
21	राजस्थान	1,42,74,956	0
22	सिक्किम	1,44,680	1,461
23	तमिलनाडु	3,00,00,000	0
24	त्रिपुरा	5,47,489	0
25	उत्तर प्रदेश	2,69,79,056	3,79,005
26	उत्तराखंड	15,87,870	7
27	पश्चिम बंगाल	2,07,17,969	1,08,959
<b>कुल योग</b>		<b>19,79,24,902</b>	<b>72,97,239</b>

## आरडीएसएस के अंतर्गत असम राज्य में स्मार्ट उपभोक्ता मीटरों का जिले-वार विवरण

क्रम सं.	जिले का नाम	संस्वीकृत	दिनांक 29.11.2024 तक संस्थापित
1	बाजाली	92,798	24,378
2	बक्स	1,05,615	68,779
3	बारपेटा	3,04,160	1,10,450
4	बिश्वनाथ	1,79,356	14,725
5	बोंगाईगांव	1,62,707	1,22,690
6	कछार	3,21,387	1,11,939
7	चराईदेव	1,04,000	51,593
8	चिरांग	1,13,585	97,155
9	दरंग	2,14,287	50,110
10	धेमाजी	1,80,944	30,054
11	धुबरी	2,94,089	1,39,571
12	डिब्रूगढ़	2,76,355	42,577
13	दिमा हसाओ	60,222	6,703
14	गोलपाड़ा	1,10,929	49,953
15	गोलाघाट	2,26,614	82,752
16	हैलाकांडी	1,61,391	59,319
17	होजाई	1,57,351	92,452
18	जोरहाट	2,01,966	1,02,451
19	कामरूप	4,14,410	47,964
20	कामरूप मेट्रो	67,882	67,332
21	कार्बी आंगलॉग	1,94,029	11,946
22	करीमगंज	2,49,730	73,394
23	कोकराझार	1,26,172	1,12,843
24	लखीमपुर	2,19,261	30,137
25	माजुली	39,532	22,094
26	मैरीगांव	2,21,233	26,780
27	नगांव	4,24,160	1,92,651
28	नलबाड़ी	1,46,767	1,01,386
29	शिवसागर	1,46,909	76,345
30	सोनितपुर	2,28,131	59,235
31	दक्षिण सलमारा	1,29,325	56,201
33	तिनसुकिया	2,95,297	1,26,677
34	उदलगुड़ी	1,62,502	26,842
35	पश्चिमी कार्बी आंगलॉग	31,702	0
<b>कुल</b>		<b>63,64,798</b>	<b>22,89,478</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2390  
16 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन

2390. डा. वी. शिवादासन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित बिजली की मात्रा का 2019 से राज्य-वार और वर्ष-वार आंकड़ा क्या है;

(ख) निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित बिजली राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को किस दर पर बेची जाती है, 2019 से वर्ष-वार आंकड़ा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी क्षेत्र की संस्थाएं अनुचित दरों पर बिजली न बेचें, सरकार द्वारा क्या उपाय अपनाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 (अक्टूबर, 2024 तक) की अवधि के दौरान देश में निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध-I** पर है।

(ख) : वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 के लिए निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत की बिक्री की भारित औसत दर (डब्ल्यूएआरएसपी) का वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-II** पर है।

(ग) : डिस्कॉम विद्युत अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत राज्य विद्युत विनियामक आयोग/केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर विद्युत उत्पादकों से विद्युत खरीदते हैं। विनियामक सभी इनपुट लागतों - ईंधन/परिवहन/ओएम लागत/प्रशासनिक लागत आदि की जांच करने के बाद मानदंडों के अनुसार टैरिफ तय करता है। यदि उत्पादक द्वारा दावा की गई कोई लागत राज्य विद्युत विनियामक आयोग/केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अत्यधिक पाई जाती है, तो उसे टैरिफ में शामिल नहीं किया जाता है। विनियामक विभिन्न लागतों के लिए मानदंड भी निर्धारित करता है - तथा मानदंडों से अधिक लागत को टैरिफ में शामिल नहीं होने देता है।

डिस्कॉम द्वारा जेनको से विद्युत खरीदने की दूसरी पद्धति धारा 63 के अंतर्गत खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से है। यदि बोली प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी रही है तो विनियामक टैरिफ को अपनाएगा।

डिस्कॉम तभी विद्युत क्रय समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं जब टैरिफ पर विनियामक द्वारा सहमति हो और उसे अपनाया गया हो।

उत्पादक के लिए तीसरा विकल्प एक्सचेंज के माध्यम से बिक्री है - जो खुली प्रतिस्पर्धा के आधार पर काम करता है। खुली प्रतिस्पर्धा के मामले में, इनपुट लागत अप्रासंगिक है - यदि किसी उत्पादक की विद्युत लागत अधिक है, तो वह नहीं बिकेगी।

वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 (अक्टूबर, 2024 तक) की अवधि के दौरान देश में निजी क्षेत्र द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विद्युत उत्पादन का विवरण:

सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (अक्टूबर, 2024 तक)
चंडीगढ़	13	10	14	13	12	6
दिल्ली	424	427	459	530	729	449
हरियाणा	6,623	5,634	8,892	9,566	9,903	6,226
हिमाचल प्रदेश	10,166	9,614	9,361	11,008	9,865	10,120
जम्मू एवं कश्मीर	443	439	416	393	409	325
लद्दाख	-	-	-	-	-	-
पंजाब	21,657	19,070	23,676	28,227	25,527	15,479
राजस्थान	28,225	32,133	39,579	57,196	63,560	43,426
उत्तर प्रदेश	35,536	40,277	42,702	48,148	49,727	30,601
उत्तराखंड	6,720	5,175	5,188	4,823	4,868	4,542
छत्तीसगढ़	53,066	63,851	67,945	69,488	85,294	52,188
गुजरात	93,251	87,475	57,174	60,339	97,291	68,304
मध्य प्रदेश	63,202	65,090	67,304	61,273	71,060	42,997
महाराष्ट्र	66,769	61,293	69,944	71,560	76,522	45,737
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	28	52	97	31	29	16
गोवा	1	1	17	20	68	38
आंध्र प्रदेश	38,018	36,339	34,905	38,750	44,826	25,695
तेलंगाना	6,794	6,933	7,346	7,430	7,509	4,284
कर्नाटक	31,920	32,598	33,732	34,839	40,588	25,085
केरल	805	1,092	1,615	1,946	2,204	1,683
तमिलनाडु	33,099	30,147	30,187	34,543	47,598	35,420
लक्षद्वीप	1	-	-	-	-	-
पुदुचेरी	4	6	12	12	12	7
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17	40	35	155	284	187
बिहार	359	227	240	289	342	204
झारखंड	11,006	10,940	12,858	12,866	13,656	7,907
ओडिशा	12,752	17,363	19,790	19,801	20,802	13,614
सिक्किम	1,860	1,773	2,181	2,366	2,066	1,416
पश्चिम बंगाल	12,053	11,702	12,958	14,067	14,768	8,844
अरुणाचल प्रदेश	2	2	2	25	3	1
असम	59	52	122	279	381	333
मणिपुर	4	8	7	9	9	5
मेघालय	63	57	45	72	67	92
मिजोरम	50	34	28	62	99	49
नागालैंड	76	70	63	112	81	66
त्रिपुरा	28	16	8	7	7	3
<b>अखिल भारत कुल</b>	<b>5,35,066</b>	<b>5,39,923</b>	<b>5,48,893</b>	<b>5,90,238</b>	<b>6,90,159</b>	<b>4,45,346</b>

अनुबंध-II

वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 तक निजी क्षेत्र (थर्मल/हाइड्रो) से विद्युत की बिक्री की भारित औसत दर (डब्ल्यूएआरएसपी) का वर्षवार विवरण

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
डब्ल्यूएआरएसपी (रु./केडब्ल्यूएच में)	3.959	3.455	3.796	4.038

नवंबर, 2024 के लिए सौर और पवन की भारित औसत दर का विवरण (एनएलडीसी द्वारा प्रदान किया गया):

क्र. सं.	उत्पादन का तरीका	भारित औसत पीपीए दर
1.	सौर	2.801 रुपये /केडब्ल्यूएच
2.	पवन	2.818 रुपये /केडब्ल्यूएच

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2391

दिनांक 16 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) की कार्यप्रणाली

2391. श्री अजीत कुमार भुयानः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के संबंध में अगस्त, 2012 में प्रस्तुत किए गए 30वीं संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट प्रस्तुत नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) कितने सेवानिवृत्त कर्मियों को सीईआरसी में कर्मचारी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जा रहा है और सीईआरसी से कितने सेवानिवृत्त कर्मियों को सीईआरसी में फिर से नियोजित किया गया है;

(ग) क्या सीईआरसी को लेकर कभी कोई निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी; और

(घ) ईए 2003 में प्रदान किए गए अनिवार्य 120 दिनों के बाद सीईआरसी के समक्ष निपटान के लिए लंबित टैरिफ याचिकाओं की संख्या कितनी है, तत्संबंधी सूची क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 18.3.2013 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के कामकाज पर ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 30वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर कार्रवाई नोट पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) : सीईआरसी से प्राप्त सूचना अनुसार, 2 (दो) सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है और 1 (एक) सेवानिवृत्त व्यक्ति को सीईआरसी में संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्त किया गया है।

(ग) : सीईआरसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, यह निष्पादन लेखापरीक्षा के दायरे में नहीं आता है।

(घ) : सीईआरसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 30 नवंबर, 2024 तक 109 टैरिफ याचिकाएं 120 दिनों से अधिक समय से लंबित थीं। टैरिफ याचिकाओं की सूची अनुबंध पर है।



अनिवार्य 120 दिनों के बाद सीईआरसी के समक्ष निपटान के लिए लंबित टैरिफ याचिकाओं की सूची (दिनांक 30.11.2024 तक के आंकड़े)				
क्र. सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	याचिकाकर्ता	पंजीकृत तिथि
1	216/टीटी/2020	टीटी	अडानी ट्रांसमिशन (इंडिया) लिमिटेड (एटीआईएल)	20/02/2020
2	137/जीटी/2024(स्पेशल ड्राइव)	जीटी	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई)	02/04/2024
3	59/जीटी/2022(स्पेशल ड्राइव)	जीटी	भारतीय रेल बिजली कंपनी एलटीडी. (बीआरबीसीएल)	04/03/2022
4	250/टीटी/2024	टीटी	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी)	15/07/2024
5	66/जीटी/2024	जीटी	एनटीपीसी लिमिटेड	16/02/2024
6	281/जीटी/2020(स्पेशल ड्राइव)	जीटी	एनटीपीसी लिमिटेड	12/03/2020
7	149/टीटी/2024(स्पेशल ड्राइव)	टीटी	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड)	18/04/2024
8	182/टीटी/2024(स्पेशल ड्राइव)	टीटी	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड)	09/05/2024
9	2/जीटी/2024(स्पेशल ड्राइव)	जीटी	एनटीपीसी लिमिटेड	05/01/2024
10	324/टीटी/2023	टीटी	वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईटीसीएल)	17/10/2023
11	309/टीटी/2023	टीटी	वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईटीसीएल)	10/10/2023
12	184/टीटी/2024(स्पेशल ड्राइव)	टीटी	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड)	09/05/2024
13	185/टीटी/2024(स्पेशल ड्राइव)	टीटी	पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पीएसआईटीएसएल)	09/05/2024
14	208/टीटी/2024(स्पेशल ड्राइव)	टीटी	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड)	13/06/2024
15	353/टीटी/2023	टीटी	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल)	07/11/2023
16	128/जीटी/2024	जीटी	एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल)	22/03/2024
17	96/टीटी/2024(स्पेशल ड्राइव)	टीटी	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड)	07/03/2024
18	409/जीटी/2020(स्पेशल ड्राइव)	जीटी	एनटीपीसी लिमिटेड	04/05/2020
19	181/जीटी/2019(स्पेशल ड्राइव)	जीटी	एनटीपीसी लिमिटेड	08/07/2019
20	134/टीटी/2023	टीटी	यू.पी. पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल)	03/05/2023
21	399/जीटी/2020(स्पेशल ड्राइव)	जीटी	एनटीपीसी लिमिटेड	02/05/2020
22	90/जीटी/2023	जीटी	स्पेक्ट्रम पावर जेनरेशन लिमिटेड (एसपीजीएल)	05/04/2023
23	327/टीटी/2023(स्पेशल ड्राइव)	टीटी	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड)	17/10/2023
24	85/टीटी/2024(स्पेशल ड्राइव)	टीटी	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड)	23/02/2024
25	95/टीटी/2024(स्पेशल ड्राइव)	टीटी	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड)	04/03/2024
26	90/टीटी/2024(स्पेशल ड्राइव)	टीटी	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड)	26/02/2024
27	436/जीटी/2020(स्पेशल ड्राइव)	जीटी	एनटीपीसी लिमिटेड	05/05/2020
28	189/जीटी/2020(स्पेशल ड्राइव)	जीटी	एनटीपीसी लिमिटेड	11/02/2020
29	236/जीटी/2021(स्पेशल ड्राइव)	जीटी	एनटीपीसी लिमिटेड	17/11/2021
30	376/जीटी/2020(स्पेशल ड्राइव)	जीटी	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल)	01/05/2020
31	361/जीटी/2020(स्पेशल ड्राइव)	जीटी	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल)	27/04/2020
32	52/टीटी/2023(स्पेशल ड्राइव)	टीटी	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड)	10/02/2023
33	जीटी/130/2014(स्पेशल ड्राइव)	जीटी	एनटीपीसी लिमिटेड	30/06/2014
34	74/जीटी/2024(स्पेशल ड्राइव)	जीटी	एनटीपीसी लिमिटेड	22/02/2024
35	337/टीटी/2022(स्पेशल ड्राइव)	टीटी	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड)	16/11/2022
36	1/टीटी/2022(स्पेशल ड्राइव)	टीटी	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड)	03/01/2022
37	388/जीटी/2023(स्पेशल ड्राइव)	जीटी	एनटीपीसी लिमिटेड	21/12/2023
38	360/टीटी/2023(स्पेशल ड्राइव)	टीटी	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड)	16/11/2023
39	73/टीटी/2024	टीटी	मेघालय पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईपीटीसीएल)	16/02/2024
40	320/टीटी/2023	टीटी	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी)	13/10/2023
41	58/जीटी/2022(स्पेशल ड्राइव)	जीटी	एनटीपीसी लिमिटेड	04/03/2022
42	23/टीटी/2023	टीटी	मलाणा पावर कंपनी लिमिटेड (एमपीसीएल)	17/01/2023
43	5/टीटी/2023(स्पेशल ड्राइव)	टीटी	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड)	03/01/2023
44	329/टीटी/2023(स्पेशल ड्राइव)	टीटी	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड)	17/10/2023
45	45/टीटी/2023(स्पेशल ड्राइव)	टीटी	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड)	03/02/2023
46	93/टीटी/2023(स्पेशल ड्राइव)	टीटी	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड)	05/04/2023
47	326/टीटी/2023(स्पेशल ड्राइव)	टीटी	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड)	17/10/2023
48	3/टीटी/2023(स्पेशल ड्राइव)	टीटी	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड)	03/01/2023
49	326/टीटी/2022(स्पेशल ड्राइव)	टीटी	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड)	10/11/2022
50	119/जीटी/2023(स्पेशल ड्राइव)	जीटी	एनटीपीसी लिमिटेड	21/04/2023
51	175/जीटी/2024	जीटी	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी)	08/05/2024
52	346/जीटी/2023	जीटी	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी)	01/11/2023



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2393  
दिनांक 16 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता योजना

2393. श्री बाबू राम निषाद:

श्रीमती एस.फाङ्गनाँन कोन्याक्:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत क्षमता के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना की कुल लागत क्या है और क्या यह योजना निवेश की सुविधा प्रदान करेगी और स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के इक्विटी हिस्से को वित्तपोषित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) की स्कीम को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें कुल परियोजना इक्विटी के 24% पर अधिकतम 750 करोड़ रुपये प्रति परियोजना की सहायता का प्रावधान है। इस स्कीम में 750 करोड़ रुपये की उपरोक्त सीमा पर मामला-दर-मामला आधार पर पुनर्विचार करने का प्रावधान भी है। प्रत्येक जल विद्युत परियोजना के इक्विटी वित्तपोषण के लिए सहायता को मूल लागत अनुमान या वास्तविक लागत, जो भी कम हो, पर सीमित किया जाना है। इक्विटी भागीदारी के लिए सहायता वितरित करते समय, राज्य सरकार और हाइड्रो सीपीएसयू के बीच गठित संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी में सीपीएसयू और राज्य सरकार की इक्विटी का अनुपात बनाए रखा जाना है।

(ख) : इस स्कीम का कुल वित्तीय परिव्यय वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 की अवधि के लिए रुपये 4136 करोड़ है। इस स्कीम को पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी निवेश लाने और परिवहन, पर्यटन, लघु-स्तरीय व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोजगार/उद्यमिता के अवसर प्रदान करने और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करने जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ स्थानीय आबादी को बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने के लिए परिकल्पित किया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2394  
दिनांक 16 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

बस्तियों एवं गांवों का विद्युतीकरण

2394. श्री राघव चड्डाः:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितनी बस्तियां और गांव अभी भी बिजली ग्रिड से नहीं जुड़े हैं, और इन क्षेत्रों में रहने वाली अनुमानित जनसंख्या कितनी है;

(ख) इन असंबद्ध क्षेत्रों में किस तरीके से बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा या ऑफ-ग्रिड समाधान का कोई भी उपयोग शामिल हो;

(ग) इन बस्तियों को बिजली ग्रिड से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और इन कनेक्शनों को पूरा करने की अनुमानित समय-सीमा क्या है; और

(घ) क्या इस संबंध में कोई विशिष्ट चुनौतियाँ सामने आई हैं, और उनसे निपटने के लिए विशेष रूप से दूरदराज या दुर्गम क्षेत्रों में क्या उपाय लागू किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग): भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा दिया है, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में सभी गैर-विद्युतीकृत संगणना गांवों को दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत किया गया। डीडीयूजीजेवाई की अवधि के दौरान कुल 18,374 गांवों को विद्युतीकृत किया गया था, जिनमें से 2,762 गांवों को ऑफ ग्रिड मोड के माध्यम से विद्युतीकृत किया गया था। डीडीयूजीजेवाई और उसके बाद सौभाग्य के अंतर्गत, सभी राज्यों द्वारा दी गई सूचना

के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2019 तक सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा हो गया था। सौभाग्य स्कीम की अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों को विद्युतीकृत किया गया था, जिनमें से 4,16,469 घरों को ऑफ ग्रिड मोड के माध्यम से विद्युतीकृत किया गया था। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 तक बंद हो चुकी हैं।

भारत सरकार सौभाग्य स्कीम की अवधि के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की चल रही स्कीम के अंतर्गत राज्यों को समर्थन दे रही है। इसके अतिरिक्त, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी पहचाने गए घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत आदिवासी परिवारों को स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन की संस्वीकृति दी जा रही है। अब तक, पीएम-जनमन के अंतर्गत पहचाने गए पीवीटीजी परिवारों और डीए-जेजीयूए के अंतर्गत पहचाने गए आदिवासी परिवारों सहित 9,49,548 घरों के विद्युतीकरण के लिए 4,281 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, नई सौर विद्युत स्कीम के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण के लिए 9,863 पीवीटीजी घरों के लिए 49 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

**(घ) :** भारत सरकार सभी घरों के विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहायता देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। चूंकि अधिकांश छूटे हुए घर दूरदराज, पहाड़ी और वन क्षेत्रों में हैं, इसलिए आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युतीकरण के मानदंडों में ढील दी गई है और विद्युतीकरण की लागत की अधिकतम सीमा बढ़ा दी गई है। गैर-विद्युतीकृत घरों की पहचान करने के लिए वितरण यूटिलिटियों द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। जहाँ भी संशोधित मानदंडों के अनुसार संभव पाया गया, वहाँ आरडीएसएस के अंतर्गत ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं और शेष क्षेत्रों के लिए नई सौर विद्युत स्कीम के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, संस्वीकृत कार्यों के लिए नियमित निगरानी की जा रही है ताकि यदि कोई समस्या आती है तो उसका समाधान किया जा सके और कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके।

\*\*\*\*\*